


१२ NOV 1956

कृष्णमेत्र

EDUCATION & DIVISION
Ministry
of Education




अ कृ ब र

१६५६



चार श्राना



भारत की एकता का निर्माण

(सरदार वल्लभभाई पटेल)

भारत की एकता के निर्माण सरदार पटेल के २७ अत्यन्त महत्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

१५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में ६ प्रान्तों के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं। इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, काश्मीर और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थीं, जो आकार और आवादी के लिहाज से पृथक् राज्यों का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थीं और २०२ रियासतें तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की पृथक् इकाइयाँ बनी हुई थीं।

भारत के प्रथम उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया। उक्त ५८४ रियासतों का ५,८८,००० वर्गमील क्षेत्रफल और १० करोड़ के लगभग आवादी इस अल्पकाल ही में भारत के आन्तरिक भाग बन गए। उसी तरह, जिस तरह के अन्य राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर और काश्मीर को पृथक्-पृथक् और अन्य कितनी ही रियासतों के संघ बनाकर उन्हें 'बी' श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैकड़ों छोटी-छोटी रियासतें आसपास के बड़े राज्यों में मिला दी गई। परिणाम यह हुआ कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन् १९४२ का निर्वाचन समूचे देश में बालिग मताधिकार के आधार पर समान रूप में हुआ।

इस नवीन भारत की एकता के निर्माण में सरदार पटेल के इन २७ भाषणों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाधीनता के पहले २॥ वर्षों की भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका महत्व ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिए चिरकाल तक प्रकाश-स्तम्भ का काम देते रहेंगे।

प्रचार के उद्देश्य से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रन्थ का मूल्य बहुत कम रखा गया है। पुस्तक में ३५० बड़े आकार के पृष्ठों के अतिरिक्त १६ पृष्ठ सरदार पटेल के सुन्दर चित्र और नवीन भारत का एक मानचित्र भी दिया गया है।

[प्रन्थ का मूल्य ५) रु० : डाक व्यय अलग।

पब्लिकेशन्स डिवीजन,

मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया,
ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन का मासिक मुख्यपत्र

वर्ष १]

अक्टूबर १९५६

[अंक १२

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : आर० शारंगन्]

प्रथान मंत्री का सन्देश	...	३
युग-निर्माता गान्धी	चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	४
पृथ्वी का चौथाई भाग महस्थन	जेम्स स्वारब्रिक	६
भारतीय ग्राम-समाज	जी० रामचन्द्रन	९
भूमि का नया बँटवारा	अजितप्रसाद जैन	१२
राजस्थान ग्राम-मुखिया शिविर	चित्रावली	१५-१८
एक सफर परीक्षण	गजानन डेरोलिया	१९
बिल्ली के घंटा कीन बाँधे ? [इंग्रीज-चित्र]	सैमुअल	२२
ग्राम-मुद्रार की दिशाएँ	बी० टी० कृष्णमाचारी	२३
गिरती दीवारें	मुश्ताक अहमद खाँ	२५
परोपकारी जीवन	भगवानप्रसाद मिश्र	२७
उत्तर प्रदेश में जन बल का उपयोग	...	२७
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :

केशवगोपाल निगम

[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]

उप-सम्पादक : मनोहर जुनेजा

मुख्य कार्यालय
बोल्ड सेक्टरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञान के लिए
विजनेस मैरेजर, पब्लिकेशन्स डिटीजन
दिल्ली—८ को लिखें



आनेवाली पीड़ियां मुश्किल से ही विश्वास
करेंगी कि कभी कोई हाइ-मॉस का ऐसा
व्यक्ति भी इस धरती पर चलता-फिरता था ।

—आइन्स्टीन

प्रधान मन्त्री का सन्देश

सामुदायिक विकास-योजनाओं की ज़िन्दगी में एक नया दौर शुरू हुआ है। इन योजनाओं के लिए भारत सरकार ने एक नया मन्त्रालय खोला है। इस नए मन्त्रालय का नाम भी इन विकास-योजनाओं के नाम पर ही रखा गया है। शायद दुनिया में पहली बार किसी मुल्क में सामुदायिक विकास के लिए एक अलग मन्त्रालय खोला गया है।

इससे सिर्फ यही ज़ाहिर नहीं होता कि सामुदायिक योजना-क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में काम काफी आगे बढ़ चुका है, बल्कि इस बात का भी पता चलता है कि हम इनके विकास और महत्व को कितना महत्व देते हैं। इससे हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। पिछले चार सालों में श्री सुरेन्द्र कुमार दे के नेतृत्व में यह काम जिस तरह आगे बढ़ा है, उसको देखते हुए मुझे इस बात का यकीन है कि यह नया मन्त्रालय नए मन्त्री की देख-रेख में सफल रहेगा।

इन दिनों अक्सर मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अब्ल की उपज तेज़ रफ्तार से बढ़ाई जाए। देश के देहाती इलाकों में सहकारी समितियों की स्थापना की ज़रूरत का भी मैं जिकरता रहा हूँ। ये ऐसी मरुद्य और आवश्यक ज़रूरतें हैं जिन पर देश की अर्थ-व्यवस्था की तरक्की निर्भर करती है।

इस बात को तो हमें हमेशा याद रखना है, लेकिन इससे बढ़ कर हमें यह भी न भूलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य इन्सानों को बनाना है—उनमें हर मुमुक्षुन् सुधार करना है। हमारी सामुदायिक विकास-योजनाओं का काम है लोगों तक आशा का सन्देश पहुँचाना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें यह महसूस करवाना कि मिल-जुल कर कठिन मेहनत करने ही हम अपनी मंज़िल तक पहुँच सकते हैं।

हिन्दुस्तान के गाँवों की रोमांचकारी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है—हमारे फैले हुए खेतों, और अनगिनत गाँवों में एक नया नाटक खेला जा रहा है। हमारे लाखों ग्राम सेवक, अवस्थापर्क वर्गरह इस नाटक के पात्र हैं। सच तो यह है कि इस नाटक के खेलने में देश के हर मर्द, औरत और बच्चे को शरीक होना चाहिए। हर हिन्दुस्तानी को इस बात का अहसास हो कि वह एक नए हिन्दुस्तान के बनाने में हिस्सा ले रहा है और इस बड़े काम से उसकी ज़िन्दगी बेहतर बन रही है। बड़ा काम करते हुए इन्सान खुद भी बढ़ता है। जब हम किसी ऊँचे उद्देश्य से कोई काम करते हैं, तो हम पर भी उस बढ़प्पन की छाप पड़ जाती है।

—जवाहरलाल नेहरू



युग-निर्माता गान्धी

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

महात्मा गान्धी को मैं इस युग का सबसे बड़ा एक आश्चर्य मानता हूँ। आज भारत में जो कुछ श्रेष्ठ है और नए भारत में जो प्राण-व्यक्ति है, उसके निर्माण में गान्धी जी का हाथ सब से अधिक है। इसी कारण गान्धी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता माने माने जाते हैं और करोड़ों भारतवासी उन्हें 'वापू' नाम से याद करते हैं। गान्धी जी का सम्पूर्ण जीवन चमत्कारपूर्ण रहा। वह सदा एक महान शक्ति वन कर रहे। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि वह अपने युग की सब में बड़ी शक्ति वन कर रहे। एक ऐसी महान शक्ति, जिसके सम्पर्क में जो भी आया, वह भी महानता की ओर वह चला। ऐसी महान शक्ति, जो 'अमृत' में 'मत्य' की ओर ले जाती थी, 'तम' से 'ज्योति' की ओर ले जाती थी और 'मृत्यु' से 'अमृत' की ओर ले जाती थी।

जहाँ तक यश और ख्याति का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि विछें १२०० वर्षों के मानव इतिहास में किसी अन्य व्यक्ति को उतना यश और उतनी ख्याति प्राप्त नहीं हुई जो गान्धी जी को उनके जीवन-काल ही में प्राप्त हो गई थी। वह जहाँ भी जाते थे, वही देश का केन्द्र वन जाता था, वह जहाँ भी रहते थे, वही स्थान देश का तीर्थ वन जाता था। जो बात वह सोचते थे, सारा देश वही वान मोचने लगता था, जो काम वह हाय में लेते थे, वही काम सारा देश करने लगता था।

जितना शानदार गान्धी जी का जीवन था, उतना ही शानदार उनका बलिदान भी हुआ। मानव जाति के इतिहास में आज तक किसी एक व्यक्ति के देहावसान पर इतना व्यापक और इतना गहरा शोक और कभी नहीं मनाया गया। भारत में तो करोड़ों नागरिकों को ३० जनवरी १९४८ की साँझ मच्चमुन्न यह अनुभूति हुई, जैसे उनके पृथ्वी पिता का हाथ उन पर से उठ गया हो। यह मच्च है कि पुराने युग में इस तरह का समाचार कुछ मिनटों में भूमण्डल पर फैल भी नहीं सकता था, पर गान्धी जी के लिए मानव-जाति के बड़े भाग में जो श्रद्धा और सम्मान विद्यमान था, वह उक्त पृथ्वीव्यापी शोक का सबसे बड़ा कारण था।

नवोन भारत के राष्ट्रपिता एक अमावारण प्रतिभा सम्पन्न मानव थे, पर प्रतिभातों और भी कितने ही लोगों में होती है। गान्धी जी का हृदय बहुत विशाल था, पर भारत में

विशाल हृदयता की कमी कभी नहीं रही। उनमें अनथक कार्यशक्ति थी, पर अकेली कार्यशक्ति किसी को महान नहीं बना देती। उक्त सभी गुणों के साथ गान्धी जी का एक अत्यन्त असाधारण गुण यह था कि वह एक महान साधक थे। और गान्धी जी जैसा महान साधक इस विद्याल पृथ्वी पर भी कभी-कभी जन्म लेता है।

गान्धी जी की साधना 'सत्य' की साधना थी। इसी साधना के लिए वह युग पुरुष जिया और इसी साधना में उसने अपने प्राण दिए। यह महान साधक आजीवन सत्य के सम्बन्ध में परीक्षण करता रहा। उस युग पुरुष के ये मन्य सम्बन्धी परोक्षण संसार के मध्य से महान वैज्ञानिकों के महानतम परीक्षणों के समान सूखपूर्ण थे और अपने क्षेत्र में उनका महत्व भी किसी बड़े में बड़े भौतिक परीक्षण में कम नहीं था।

भारत की इस पुण्य भूमि पर सत्य के ये महान परीक्षण कितनी ही बार किए जाते रहे हैं। युगों पूर्व हिमालय को उत्पत्तिकारे वेदों के सत्य सम्बन्धी कृचाओं से मुखरित हुई थी। इसी भूमि पर उनिषद्कार महान द्रष्टाओं ने सत्य का चिन्तन किया था। भारत की यही धरती सत्य के महानतम साधक गौतम बुद्ध के चरणों से पवित्र हुई थी। भारत के उक्त सभी महान धर्मों के समान आज से सिर्फ १० वर्ष पहले के वे धर्म भी 'अमर धर्म' थे, जब इस युग का सबसे बड़ा मन्य साधक नंगे पाँत्र नोआखाली की यात्रा कर रहा था। उसने कहा था कि "मैं तीर्थ-यात्रा कर रहा हूँ, इसमें मैं नंगे पाँत्र पैदल चलता हूँ।" पर सच तो यह है कि इस यात्रा द्वारा वह देवपुरुष नए तीर्थों का निर्माण कर रहा था।

महात्मा गान्धी की जीवनचर्या घड़ी के समान नियमित थी। प्रत्येक कार्य का ममय निश्चित था और प्रत्येक कार्य ठोक अपने ममय पर होता था। मन १९३० की बात है कि जब डम अंतोखे मन्त नेता ने उस जमाने के विश्व के मध्य में अधिक शक्तिशाली देश इंग्लैंड को नमक का कानून तोड़ कर परास्त करने का अजीब-सा दिव्यार्थ देनेवाला निश्चय किया था। उस युग के समझदार माने जाने वाले अधिकांश बुद्धिजीवी गान्धी जी के इस निश्चय पर खुल कर हँसे थे। पर संसार भर ने पाया कि महात्मा गान्धी को ढांडों यात्रा के साथ-साथ प्रति दिन भारत का रूप ही बदलता चला गया।

इस देश का जनसमूदाय जैसे एकाएक सचेतन हो उठा। गान्धी जी और उनके साथी जितना-जितना डाँड़ी की ओर बढ़ते गए, देश भर की स्थिति गम्भीर से गम्भीरतर बनती चली गई। वह समय इस प्रकार का था कि भारत के लाखों व्यक्तियों को रातभर नींद न आती थी। सरकारी कर्मचारी अपनी चिन्ताओं के कारण सो न पाते थे, देश के स्वयंसेवकों को कार्य साधन की चिन्ता सोने न देती थी और लाखों भारतीय डाँड़ी मार्च के समाचार और परिणाम जानने की उत्सुकता के कारण सो न पाते थे। उन दिनों भी अगर कोई ठीक समय पर निश्चिन्त होकर गहरी नींद सोता था, तो वह उक्त सम्पूर्ण आनंदोलन का सर्वोच्च नेता महात्मा गान्धी ही था। आखिर एक दिन किसी ने गान्धी जी से पूछ ही तो लिया—“बापू, आपने सारे देश की नींद हराम कर दी हैं और आप खुद इस तरह ठीक समय पर गहरी नींद सो जाते हैं! इसका रहस्य क्या है?”

बापू ने कहा—“देखो भाई, जब मैं सोने लगता हूँ तो अपने भगवान को याद करता हूँ। अपने इस राम से मैं कहता हूँ ‘हे मेरे राम, तेरे काम की गठरी मैंने दिन भर पूरा ईमानदारी से सम्भाली है, अब मैं आराम करने जा रहा हूँ, सो अब अपनी गठरी तू आप सम्भाल!’ और सब चिन्ताओं की गठरों भगवान को सौंप कर मैं निश्चिन्त सो जाता हूँ।”

इसी अनासक्त दिव्य साधना का एक शानदार उदाहरण नोआखाली में मिला था। नोआखाली में जो लोग अत्याचार पोड़ित हुए थे, उनके प्रति गान्धी जी से बढ़ कर सहानुभूति और किस व्यक्ति के हृदय में हो सकती थी। जिन दिनों सारा भारत अस्थायों राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को खुशियाँ मना रहा था, यह महान सन्त नोआखाली में पैदल चल कर अत्याचार पोड़ितों के आँसू पोंछ रहा था। उन्हीं दिनों गान्धी जी एक ऐसे गाँव में पहुँचे, जहाँ जघन्य अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई थी। गान्धी जी को वे सब हृदय-विदारक घटनाएँ सुनाई गईं। उन्हें एक ऐसे मकान में ले जाया गया जहाँ घर भर के सब प्राणियों की न सिर्फ निर्मम हत्या की गई थी, अपितु उन पर पैशाचिक अत्याचार भी किए गए थे। बच रही थी तो घर को एक बुढ़िया, जिसको करुण दशा देखने तक में असहा थी। घर भर में अत्याचार के प्रमाण बिखरे पड़े थे और उस सब के बोचोंबोच उक्त बुढ़िया को देख कर गान्धी जी के साथ आए सभी लोग द्रवित हो उठे। उस जोवित बुढ़िया की दशा मृतक से भी अधिक करुणजनक थी। गान्धी के साथ उस मकान तक आए सभी लोग, हिन्दु-मुसलमान सब के सब, चुपचाप आँसू बहाने लगे।

अगर किसी की आँख में आँसू नहीं आए, तो वह महात्मा गान्धी थे। करुण का वह महान हिमालय हिमवत् स्थिरता से चुपचाप वह करुणतम दृश्य देखता रहा!

हमारे देश का यह परम सौभाग्य है कि यह युग पुरुष नवीन भारत का निर्माता था। राष्ट्रीय निर्माण का कोई छोटे से छोटा क्षेत्र भी इस महान द्रष्टा की पैनी दृष्टि से बचा नहीं रहा। राष्ट्र निर्माण के सभी पहलुओं की ओर हमारे राष्ट्रपिता ने पूरा ध्यान दिया। किसी बात को उन्होंने छोटा या उपेक्षणीय नहीं समझा। राष्ट्र के समान व्यक्ति के जीवन को उच्च बनाने की दृष्टि से भी इस युग के इस सब से बड़े महात्मा का ध्यान जीवन की अत्यन्त छोटी-छोटी बातों का ओर भी उतना ही था, जितना बड़ी समझी जाने वाली बातों की ओर। जहाँ वह सारे राष्ट्र को मितव्ययता और प्राप्त साधनों के अधिकतम उपयोग की सलाह देते थे, वहाँ निजी जीवन में इस मितव्ययता और साधनों के अधिकतम उपयोग को इतना महत्व देते थे कि डाक में आए लिफाफों तक को सम्भाल कर रखते थे कि उनका उपयोग हो सके।

यदि महात्मा गान्धी के महान आदर्शों के व्यावहारिक भाग को एक ही वाक्य में व्यक्त करना हो तो वह वाक्य इस प्रकार है—“व्यक्ति, समाज, अथवा राष्ट्र के लिए अच्छे लक्ष्य का होना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे लक्ष्य के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छे साधनों का प्रयोग उतना ही आवश्यक है।” यह एक बहुत बड़ी बात महात्मा गान्धी ने हमारे देश के सम्मुख लक्ष्य के रूप में रखी है। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिस पर चल कर हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिस पर आचरण करते हुए कभी कोई व्यक्ति मार्गभ्रष्ट नहीं हो सकता। और यही एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर आचरण करने से ही मानव जाति का भविष्य मुनिश्चित और आशापूर्ण बन सकता है।

सच बात तो यह है कि लक्ष्य तो कब किस ने प्राप्त किया है। प्रत्येक क्षेत्र में जीवन का लक्ष्य रात के तारों के समान दूर हो दूर बना रहता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के जीवन में जब एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है, तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है, जैसे पहाड़ की एक चोटी पर चढ़ते ही दूसरों और भी बड़ी चोटी दिखाई देने लगे। सैंकड़ों, हजारों सालों से मानव समाज किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा है और आनेवाले हजारों सालों में भी वह किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा।

(शेष पृष्ठ १४ पर)

पृथ्वी का चौथाई भाग मरुस्थल

जैम्स स्वारब्रिक

संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) का एक उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा मानव जाति के जीवन को उन्नत करना भी है। जन्मते ही यूनेस्को के सामने यह उच्च आदर्श मुखर हो उठा, क्योंकि संसार का एक-चौथाई क्षेत्र सूखा है, जहाँ पानी की कमी के कारण बहुत थोड़ी-सी आबादी जैसे-तैसे अपनी गुजर-बसर कर सकती है।

दुनिया के नक्शे को देखने से पता चलता है कि रेगिस्तान अटलांटिक महासागर से चीन तक फैला हुआ है। सहारा का रेगिस्तान सारे उत्तरी अफ्रीका में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है और यही पूर्व में अरब से हो कर पाकिस्तान तक आ पहुँचा है। इसी प्रकार उत्तर में एलास्का से लेकर दक्षिण में दक्षिण अमेरिका की दक्षिणी नोक तक प्रशान्त महासागर के किनारे का सारा प्रदेश रेगिस्तानी है। केवल मध्य अमेरिका का कुछ क्षेत्र बीच में हरा-भरा दिखाई देता है। दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश भाग

रेगिस्तान है। पूर्वी भाग को छोड़ कर आस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी प्रायः यही हाल है। इन सब क्षेत्रों की समस्याएँ भी एक नहीं तो एक-जैसी अवश्य हैं।

कई देशों में इन समस्याओं को हल करने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। यूनेस्को ने सब से पहले यह पड़ताल की कि अब तक रेगिस्तानों के बारे में कहाँ-कहाँ क्या-क्या अनुसंधान हुए हैं। इस पड़ताल के परिणामस्वरूप यूनेस्को को २३ देशों की लगभग १०० गवेषणा संस्थाओं का पता लगा, जो इस विषय में थोड़ा-बहुत काम कर रही थीं।

यूनेस्को का प्रयत्न है कि सब देशों में रेगिस्तान की समस्या के प्रति जाग्रति हो, इस के हल करने के लिए अनुसंधान किये जाएँ और अनुसंधान के नतीजों का व्यापक उपयोग हो। इस दिशा में यूनेस्को की 'मरुस्थल गवेषणा सलाहकार समिति' की देखरेख में काम चल रहा है। विभिन्न देशों के ६ वैज्ञानिक इस समिति के सदस्य हैं।



मोरक्को में मरुस्थल को सींचने के लिए दूर से लाई गई एक नहर

पानी की कमी सब रेगिस्तानों की समस्या है। कहीं यह समस्या है कि पानी कहाँ से आए और कहीं यह कि लोगों को सूखे की मुसीबत से कैसे बचाया जाए और जितना पानी उपलब्ध है, उसका कैसे उपयोग किया जाए?

वर्षा का कुछ पानी तो मिट्टी की ऊपरी सतह में रह जाता है, जिसे या तो पौधे सूखे लेते हैं, या यूँ ही सूख जाता है। कुछ पानी जमीन में गहराई तक समा जाता है, जहाँ से या तो यह स्रोतों द्वारा नदियों और चश्मों में जा मिलता है या कहीं जमा होता रहता है। ऐसे स्थानों पर कुएं खोदकर पम्पों आदि से पानी निकाला जा सकता है।

जिस चट्टान में पानी भरा है, वह, यदि दो ऐसी सख्त चट्टानों के बीच में है, जिनमें से पानी नहीं रिस सकता तो इस पानी का दबाव बहुत बढ़ जाता है और ऐसे स्थान पर कुआँ खोदने से पानी स्वयं उबल पड़ता है। ऐसे कुओं को 'आर-टीजन देल' कहते हैं।

रेगिस्तान में पहले तो वर्षा बहुत कम होती है और जब होती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से यहाँ की जमीन बहुत कट जाती है। इस प्रकार एक तो पानी बेकार जाता है, दूसरे जमीन खराब हो जाती है। इसलिए पानी को रोकने


और जमा करने के लिए बाँध और जलाशय बनाना है। इस समय भारत में नदियों से जितनी सिंचाई होती है, उतनी संसार के और किसी देश में नहीं होती, पर रेगिस्तानी नदियों का आयोजित विकास करने से और अधिक लाभ हो सकता है।

यदि समूद्री और कुओं के खारे पानी का नमक निकाल कर उसे सिंचाई और पीने के योग्य बनाने की कोई सस्ती विधि निकाली जा सके तो रेगिस्तानों को हरा-भरा करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम होगा। दुनिया के नक्शे को देखने से पता लगेगा कि कई रेगिस्तान समूद्री किनारे पर ही हैं। चिलो और पीरु के रेगिस्तान इसी प्रकार के हैं। केसी विड्म्बना है कि एक ओर अथाह जलराशि और दूसरी ओर सूखा रेगिस्तान। एंडीज के दूसरी ओर से नलों और रेलों ने पानी लाना पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं निकला है जिससे समृद्ध के पानी का खारीपन दूर किया जा सके। पानी प्राप्त करने का एक और तरीका है—कृत्रिम वर्षा। पर यह उपाय भी अभी निश्चित और पूर्णतः सफल नहीं माना जाता।

रेगिस्तान में पानी के बाद दूसरी समस्या है, बिजली आदि की



एक भयंकर मरुस्थल



राजस्थान का महस्त्र

शक्ति की। पानी खोने, घरेलू कामों, खेतों-बाड़ी और उद्योगों तथा खाने खोदने के लिए शक्ति की ज़रूरत है। इसकी सबसे अधिक ज़रूरत होनी है ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए, अन्यथा लोग पेड़ों और झाड़ियों को काट-काट कर जलाते रहते हैं और इस प्रकार वनस्पति और नष्ट होती चली जाती है।

महस्त्र गवेषणा सलाहकार समिति की साल में दो बार बैठक होती है और गवेषणा को प्रगति पर विस्तृत विचार-विमर्श होता है। साल में एक बार किसी एक विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है।

समिति ने कुछ ऐसी आम योजनाएँ भी मंजूर की हैं, जैसे रेगिस्तान को स्थिति आदि के बारे में सही नवयो आदि तैयार करना। गवेषणा की कुछ योजनाओं के लिए भी यूनेस्को धन की सहायता देता है। ऊँट का शरीर और प्रकृति आदि गवेषणा का एक ऐसा ही विषय है। यहशलम

के हेतु विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने ओस में पौधों को क्या नाभ हो सकता है, इस विषय पर खोज की है।

यूनेस्को की ओर से पाकिस्तान में एक भातिकी संस्थान और तुर्की में जल-भूगर्भ संस्थान स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। पोरु ने भी अपने देश के रेगिस्तान के बार में गवेषणा के लिए एक संस्थान खोलने की प्रार्थना की है।

मिश्र के हेलियोपोलिस के महस्त्र गवेषणा मंस्थान की महायता के लिए यूनेस्को ने कुछ विशेषज्ञ भेजे हैं। इजाइल में वायु की शक्ति का सर्वेक्षण किया गया है।

बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले प्रायः ममझते हैं कि भला रेगिस्तान में हमारा क्या सम्बन्ध, किन्तु वे भल जाते हैं कि यहर भी पथरीले रेगिस्तान ही है, जहाँ अन्त का एक दाना पैदा नहीं होता और पानी भी सफाई के काम आता है, सिचाई के नहीं। पर पृथ्वी के चौथाई क्षेत्र के निवासियों के लिए, ये बातें जीवन की मूलभूत समस्याएँ हैं।

भारतीय ग्राम-समाज

जी० रामचन्द्रन

भारतीय ग्राम समाज क्या है, इस सम्बन्ध में कोई गलत-फहमी नहीं रहनी चाहिए। सब से पहली बात यह है कि ग्राम समाज देश के अनेक समाजों में से सर्व प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत का कोई भाग या अंश मात्र नहीं है। यह स्वयं सारा भारत ही है।

भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ८० प्रतिशत भाग गाँवों में रहता है। पिछली कई शताब्दियों से ऐसा ही है और भविष्य में काफी समय तक हालत ऐसी ही रहेगी। अगर आज हमारे गाँवों के लोग गाँवों को छोड़ कर शहरों और कस्बों पर धावा बोल दें, तो हमारे शहरों और कस्बों का बुरा हाल हो जाए। महत्मा गान्धी ने एक बार कुछ-कुछ मजाक करते हुए कहा था—“लोग भगवान की आँखों में धूल झोक सकते हैं, लेकिन गणित को धोखा देना असम्भव है।” इस तथ्य में विश्वास रखते हुए भी हम में से अधिकतर लोग अक्सर गणित का भला देते हैं। लगभग हरेक व्यक्ति यह बात मानने को तैयार होगा कि ८० प्रति शत लोगों का अर्थ है लगभग सब लोग और जो बात ८० प्रति शत पर प्रभाव डालेगो वह सारे राष्ट्र को प्रभावित करेगो और जिस बात का ८० प्रति शत लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, वह ज्यादा महत्व की नहीं है। हमारा कोई भी कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बन सकता जब तक वह गाँवों का कार्यक्रम न हो। इस सब के बावजूद जब भी कोई राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम बनाया गया, उसमें स्थान-स्थान पर शहरों और कस्बों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया गया। जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम-कल्याण आदि कार्यक्रमों में अक्सर ऐसा ही होता रहा है। इसलिए यह बात हर पाठक को गाँठ बाँध लेनों चाहिए कि ग्राम-समाज का कल्याण, राष्ट्र के किसी अंश का कल्याण न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र का कल्याण है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरों और कस्बों से सौतेलो मां जैसा व्यवहार किया जाए—ऐसा करना सम्भव भी नहीं। ऐसा करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता, हालांकि गाँवों से ऐसा व्यवहार काफी समय से किया जा रहा है। शहरों और कस्बों में रहनेवाले लोग कुल जनसंख्या का २० प्रति-शत होते हुए भी काफी संजग हैं। कई शताब्दियों तक हमारे गाँववालों का शोषण होता रहा है और वे मूँक और असंगठित रहे हैं। पिछले ३०-४० वर्षों में अर्थात् गान्धी

युग में हमारे गाँवों में जागृति आई है और अब वे आगे बढ़ने को आतुर नज़र आ रहे हैं। कस्बों और शहरों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। हमारे करोड़ों लोग इनमें रहते और फलते-फूलते हैं। वे अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं। इस समय भी गाँवों को तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं गया है और वहाँ जीवन को आवश्यक सुविधाओं का नितान्त अभाव है। इस लिए हम लोग कस्बों और शहरों के विस्तर कोई जिहाद नहीं कर रहे और न ही उनकी उपेक्षा करवाना चाहते हैं—आवश्यकता केवल इस बात की है कि ग्राम-समाज को भारत का एक अविभाज्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाए।

हमारे देश में ग्राम-समाज के वास्तविक महत्व को पहले-पहल महत्मा गान्धी ने आँका और इसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तभी तो उनका सारा रचनात्मक कार्यक्रम एक ग्राम सुधार आन्दोलन बन गया था। इस आन्दोलन के अंग थे—खादी, ग्रामोद्योग, हरिजन सेवा, वैसिक शिक्षा और कस्तूर वा ट्रस्ट कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम ग्राम आन्दोलन में पूरी तरह खप जाते हैं। गान्धी जो ने सबसे पहले इस बात का प्रतिपादन किया कि प्रत्येक राष्ट्रीय आयोजन और पुनर्निर्माण में ग्राम-समाज को रीढ़ माना जाए। अपने जीते जो ही वह इस चीज़ को पूरा करने में सफल भी हुए। आज, उन्हीं के प्रभावस्वरूप ग्राम समाज को हमारे राष्ट्रीय आयोजन में वह स्थान प्राप्त है, जो होना चाहिए था। यह उनकी अनेक सफलताओं में से एक है। गान्धी जो ने रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में जिस नए आन्दोलन का आरम्भ किया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम उसी का एक रूप है।

यह भारतीय ग्राम-समाज का इतिहास है। यह एक लम्बा इतिहास है और काफी हृद तक स्वयं भारत का इतिहास है। देश में दूर-दूर तक फैले हुए ५ लाख गाँवों में हमारा ग्राम-समाज बसा हुआ है। ये गाँव हमारे देश की सब से प्राचीन संस्थाएं हैं। इस सम्बन्ध में हमें कोई भूल नहीं करनी चाहिए। हमारे गाँव, हमारे लोगों की जीती-जागती संस्थाओं से कम नहीं थे और न ही अब भी हैं। अगर कोई व्यक्ति एक भारतीय गाँव को मकानों का एक समूह मात्र मान कर चलता है, तो वह कदापि उस को समझ नहीं पाएगा। गाँव

कई शताव्दियों से भारतीय जीवन और संस्कृति के विकास का प्रतिनिधि रहा है। यह हमारे सामाजिक संगठन को मूल इकाई रहा है और इसके इस रूप में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक हमारे गाँवों को परम्परा अखण्ड रही है। हम इस परम्परा को भंग नहीं कर सकते और ऐसा करना ठोक भी नहीं है। गाँवों को परम्पराओं को नष्ट करने का अर्थ है करोड़ों ग्रामवासियों को जड़ें खोदना। यह हम सब के लिए खतरे में खाली नहीं है। हाल ही में हमें इस बात का कटु अनुभव भी हुआ है कि किसी समुदाय को उसके परम्परागत वातावरण से अलग करके नए वातावरण में बसाना कितना कठिन है। मेरा मतलब शरणार्थियों की समस्या से है। हमें अपनी आधुनिक समस्याओं को हल करने को कोशिश करनों चाहिए न कि ऐसो-ऐसो नई समस्याएँ पैदा करें जिनको हल करना मुश्किल हो। इस चौज का अर्थ यह नहीं है कि हम हर प्रकार के परिवर्तन का विरोध करें। इसके विपरीत आज व्यापक और क्रान्तिकारी परिवर्तनों को जितनों आवश्यकता है, उतनों किसी और चौज को नहीं है। हमें जाति-भेद और छुआछूत के रोगों को समाप्त करना है। पुरानी व्यवस्था को जितनी भी सामन्तशाही विशेषताएँ हैं, हमें उन्हें समाप्त करना है। लेकिन हमें ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं छूता होगा जिसमें गाँवों को परम्पराओं में किसी प्रकार की शिथिलता आए। ऐसी किसी भी वस्तु को नष्ट करना अनुचित है जिसके स्थान पर हम भविष्य में उसमें उत्तम वस्तु को बनाने की अवस्था में नहीं। हमें गाँव को लेकर काम शुरू करना है और कोशिश यह करनी है कि गाँव गाँव त्री रहे और साथ ही विकास को ध्यान में रखते हुए उस गाँव में सुधार भी हो। केवल इस प्रकार ही हम गाँवों में देश के इतिहास को बना सकते हैं। भारत की स्वतन्त्रता भी हमारे गाँवों को जागृति का ही परिणाम है।

हमारे ग्रामवासी आम तौर पर परिश्रमी हैं और समझदार हैं—उन्हें इस बात का ज्ञान है कि कौन-सी चौज उनके लिए लाभदायक है। भले ही कुछ समय के लिए वे नए विचारों और तरीकों का विरोध करें, लेकिन ज्यों ही वे महसूस करेंगे कि इनको अपनाने से कुछ लाभ है, वे उन्हें अपनाने में कोई आनाकानी नहीं करेंगे। खाली वातों और कोरे सिद्धान्तों में उनकी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन व्यावहारिक और लाभदायक काम की तरफ वे एक दम आकर्षित होते हैं। शताव्दियों से वे ऐसी बाहरी शक्तियों

के चंगुल में रहे हैं, जिनकी इस नीयत का अन्दोलन लगान में वे असफल रहे थे। इसलिए जब हम ग्राम-समाज की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम ऐसे करोड़ों लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो अभावों, आशंकाओं, सन्देहों और आशाओं में जीते रहे हैं और जो रहे हैं। वे बेचारे तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की और उन अवसरों की मांग करते हैं, जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगर हमें देश को एक रक्तपूर्ण क्रान्ति से बचाना है तो आवश्यक है कि हम ग्राम-समाज की भोजन, कपड़े, आवास, डाक्टरी मुविधा, शिक्षा और अवसरों की मांग को जल्दी हो और ठोक प्रकार पूरा करने को कोशिश करें।

हमारा विस्तृत ग्राम-समाज देश के पाँच लाख से अधिक गाँवों में फैला हुआ है। इसके जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली समस्याएँ काफी हद तक पेचोदा हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक प्रभावों के कल-स्वरूप जो मिथित उत्पन्न हुई हैं, वह किसी भी सुधारक अथवा विचारक को परेशान कर सकती है। कोई एक मुख्य समस्या भी ऐसी नहीं है, जिसमें कई प्रकार के कारणों से पेचोदगों न आ गई हो। आर्थिक विकास के ही प्रचन को लोकिण। इस सम्पूर्ण समस्या पर जाति-भेद, धार्मिक और सांस्कृतिक परम्पराओं और संद्वान्तिक मतभेद का प्रभाव पड़ा है। भूमि और अन्न की समस्याएँ भी मिलो-जुलो हैं, फल-स्वरूप भूमिहोनों को भूमि प्राप्त करने का भूख एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसी प्रकार बेरोजगारों और छोटे पैमाने के उद्योगों को समस्याएँ भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी कारण मिथित अर्थ-व्यवस्था की सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि औद्योगिकरण और विकेन्द्रीकृत उत्पादन में तालमेल स्थापित किया जाए। शिक्षा का प्रसार करते समय हम इस बात को नहीं भूल सकते कि भारत एक गरोब देश है और इस गरीबी की ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की योजना बनाई जाए। साथ ही हमें जो शिक्षा दो जाए वह सब से अच्छी किसी को हो। इसलिए भारत की सारी समस्या यह है कि ग्राम-समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार इसके जीवन और इसकी आवश्यकताओं को समझा जाए और किस प्रकार ग्राम-समाज को पहले से व्यापक, पूर्ण, समृद्ध और सुखी बनाया जाए। यह तब तक सम्भव नहीं जब तक हम एक आन्दोलन आरम्भ नहीं करते जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाया जाए। यह आन्दोलन ग्राम-समाज से ज़रूर हो कर हर दिशा में फैले।

पंचवर्षीय योजना और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के उद्देश्यों और तरीकों को अब भी १० प्रति शत से अधिक लोग नहीं समझ पाते। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काल में सारा राष्ट्र कैसे सहयोग दे सकता है, जब वह इसके उद्देश्यों और तरीकों के सम्बन्ध में पूरी तरह जानकारी नहीं रखता। इस दिशा में शीघ्र ही कुछ न कुछ अवश्य किया जाए ताकि लोग समझने लगें कि योजना क्या है और हम क्या कर रहे हैं। यह कार्य बड़े पैमाने पर शिक्षा या समाज शिक्षा कार्यक्रम द्वारा किया जा सकता है। वास्तविक काम करने से पूर्व ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए—अगर पहले न दी जा सके तो कम से कम कार्यक्रम के साथ-साथ इसका दिया जाना आवश्यक है। इस दिशा में हमारा कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी तक हम ग्राम-समाज तक पहुँचने में भी शायद सफल नहीं हुए हैं। लेकिन हर्ष का विषय यह है कि गान्धी जी से प्रेरणा लेकर हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस काम को और भी लगान और तेजी से तथा अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैलाएँ ताकि देश के हर भाग में फैले हुए ग्राम-समाज के जीवन के हर पहलू को छू सकें।

ग्राम समाज के जीवन को पहले से समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए इन बातों पर ज़ोर देना आवश्यक है—

१. कृषि में सुधार करके खाद्यान्त की उपज में वृद्धि और शान्तिपूर्ण ढंग से भूमि का न्यायपूर्ण वितरण;

२. ग्राम स्तर पर आहार-नियमों की शिक्षा देकर ग्रामवासियों के आहार में सुधार;

३. आहार-सुधार और व्यापक राष्ट्रीय आरोग्य आनंदोलन द्वारा स्वास्थ्य सुधार;

४. कुटोर और ग्राम उद्योगों में सुधार और संगठन के फलस्वरूप ग्राम्य क्षेत्रों में अधिक से अधिक आत्म-निर्भरता। साथ ही बहु-उद्देशीय सहकारिता का प्रचार;

५. सस्ती शिक्षा, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक दस साल के अन्दर वह अपनी रोज़ी कमाने योग्य हो जाए। यह सुविधा हर लड़के-लड़की को प्राप्त हो। इस उद्देश्य की पूर्ति बेसिक शिक्षा में कुछ परिवर्तन करके की जा सकती है;

६. पंचायतों की सहायता से स्वायत्त शासन, वास्तविक सत्ता पंचायतों के हाथ में हो, और

७. सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों द्वारा जनता का नेतृत्व उत्थान। इन कार्यक्रमों में हमारी पुरातन धरम्पराओं

और आधुनिक युग की अच्छाइयों का सम्मिश्रण हो।

इसमें से कोई चीज़ भी नई नहीं है—लेकिन सब काम एक नए जोश के साथ करने की ज़रूरत है। भावना और टेक्निक का मिलन होना चाहिए। भौतिक सुधार के साथ-साथ नैतिक उत्थान भी होना चाहिए। आमोद और मनो-रंजन हमारे सांस्कृतिक स्तर को नीचे लाने की बजाए ऊँचा उठाएँ। भौतिक-विकास के कई कार्यक्रमों का काम-चलाऊ सामंजस्य मात्र हो काफी नहीं है, इससे बढ़ कर आवश्यकता इस बात की है कि हम भौतिक विकास के कार्यक्रमों और नैतिक उत्थान के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करें। अगर हम इस कार्य में सफल न हुए तो हमारा देश अपने महान् मिशन में असफल हो जाएगा। अगर हम इसमें सफल हो गए तो हम हर देश के सामने, सारी दुनिया के सामने, उदाहरण बन जाएँगे। भारत के ग्राम-समाज को स्वयं अपना कल्याण करना चाहिए और इस प्रकार मानवता के कल्याण का पथ-प्रदर्शन करना चाहिए। सारे एशिया में जगह-जगह ग्राम समाज हैं—चीन में एक बड़ा ग्राम-समाज है। भौतिक और नैतिक विकास के सामंजस्य का संदेश तो गान्धी जी के देश भारत से ही बाहर के देशों को मिलना चाहिए। अपने जीवन काल में गान्धी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम में इन दोनों का सामंजस्य स्थापित कर दिखाया था। सम्भव है कि समय में परिवर्तन करने से उक्त सामंजस्य के मूल तत्व ही समाप्त हो जाएँ। इसलिए नए और पुराने का सन्तुलन करने में हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा।

इसलिए भारत में ग्राम-समाज के कल्याण-कार्यक्रम के दो मिशन हैं। हमें यह कार्य शान्तिपूर्वक और रचनात्मक ढंग से करना है—इस ढंग से करना है कि जीवन की बाह्य अवस्था में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामवासी पुरुषों और स्त्रियों के नैतिक स्तर में भी उन्नति हो। दूसरी बात यह है कि इस विकास का एशिया के ग्राम-समाज पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए।

ऊँचे विचारों और शब्दों से कुछ मतलब हल नहीं होता। ग्राम कल्याण कार्य बहुत विशाल और कठिन है—यह कार्य काफी विस्तृत है और इसमें हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अतः समझदार होने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम साहसी बनें। निर्माण धीरे-धीरे होगा, एक-एक कदम बढ़ा के हमें आगे बढ़ना होगा। भारतीय इतिहास के विघातों से हमारी वह प्रार्थना है कि वह हमारे देश के लोगों को समझदारी, आत्म-विश्वास और नम्रता प्रदान करे ताकि वे संसार में अपने उच्च उद्देश्य तक पहुँचने में सफल हों।

भूमि का नया बँटवारा

अजितप्रसाद जैन

भूमि सुधार में अब तक जो बड़े-बड़े सवाल पैदा हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को कितनी भूमि मिलनी चाहिए? स समस्या का हल निकालने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इस वक्त भूमि का बँटवारा क्या है। लगभग ६० प्रति शत किसानों के पास पाँच एकड़ से कम भूमि है। यह छोटे किसान हैं और कुल जुताऊ जमीन का १५.५ प्रति शत नके कब्जे में है। इनसे ऊपर मध्यम श्रेणी के किसान हैं जिनके पास पाँच से पचास एकड़ तक जमीन है। इनकी संख्या कुल किसानों का १५ प्रति शत है और इनके कब्जे में कुल जमीन का ५० प्रति शत है। २५ एकड़ से ऊपर वाले बड़े किसानों की संख्या ५ प्रति शत से कुछ ऊपर है लेकिन उनके कब्जे में ३४ प्रति शत जमीन है। पाठकों को इससे ज्ञात होगा कि ६० प्रति शत छोटे किसानों के पास जितनी भूमि है उसके कावले में ५ प्रति शत बड़े किसानों के पास दुगनी से अधिक भूमि है। दूसरे शब्दों में औसतन छोटे किसानों के पास जितनी भूमि है उससे २२ गुना भूमि प्रत्येक बड़े किसान के पास है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जमीन का यह बँटवारा बहुत ही असन्तुलित है।

हमारे देश में २५ करोड़ आदमी या यह कहिए ५ करोड़ परिवार खेती से निर्वाह करते हैं। जुताऊ जमीन ४० करोड़ एकड़ है, और इस हिसाब से हरेक व्यक्ति के हिस्से में १.६ एकड़ जमीन आती है। अगर सब परिवार बराबर हों और जुताऊ जमीन उन में बराबर बाँटी जाए तो हर परिवार के हिस्से में ८ एकड़ से कुछ कम जमीन आनी चाहिए। खेती में काम करनेवालों में साढ़े चार करोड़ लोग मज़दूर के रूप में काम करते हैं। इन लोगों का जमीन में कोई हक नहीं, लेकिन जुताई, वुवाई, कटाई में यह सबसे अधिक काम करते हैं। इनका निर्वाह भी जमीन से चलता है। जिनके पास जमीन है, गाँवों में उनकी इज्जत है और समाज में उनका ऊँचा स्थान है। भूमिहीन मज़दूर ग्राम-समाज में सबसे नीची श्रेणी के हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कुछ वक्त अपनी जमीन जोतते हैं लेकिन कम जमीन होने की वजह से मज़दूरी करके अपना गुजारा करते हैं। सवाल पैदा होता है कि जमीन का असन्तुलित बँटवारा ज्यों का त्यों

छोड़ा जाए, नाकाफ़ी जमीन वाले किसान के पास कम जमीन रहे और मज़दूर के पास कोई जमीन ही न हो या जमीन के बँटवारे में कोई रद्दोबदल की जाए। हम यह बात भी साफ़ करना चाहते हैं कि खेती के लायक जमीन जो थी वह करीब-करीब सब जोत में आ चुकी है। कुछ थोड़ी बहुत बंजर जमीन जुताई में लाई जा सकती है, लेकिन उससे जुताऊ रकबे में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ सकता।

समाजवादी समाज को देश में स्थापित करना हमने अपना ध्येय बनाया है। इससे जनता की कुछ आशाएँ बढ़ीं, खास तौर से वे दबे हुए गरीब लोग जिनकी ओर अभी तक समाज ने ध्यान नहीं दिया था, उनके मन में विचार पैदा हुआ कि देश की बढ़ती हुई दौलत में उनका भी हिस्सा है। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजना बनी है। समाजवादी समाज निर्धन और शरीब व्यक्तियों का समूह नहीं है। उसके दो मुख्य लक्ष्य हैं, अधिक सम्पत्ति और उसका जहाँ तक हो सके बराबर बँटवारा। सारे व्यक्तियों का बिल्कुल बराबर होना तो सम्भव नहीं, लेकिन सब से अधिक मालदार और गरीब आदमी के बीच जितना कम अन्तर हो उतना ही समाजवाद के उद्देश्य की पूर्ति होती है। देश की ३६ करोड़ जनसंख्या में से २५ करोड़ या दूसरे शब्दों में यह कहिए कि ७० प्रति शत व्यक्ति खेती में लगते हैं। देश की वार्षिक आय का लगभग ५० प्रति शत खेती की उपज से उत्पन्न होता है। जब तक कि जमीन को न्यायपूर्ण और बराबरी के असूल पर नहीं बाँटा जाता उस वक्त तक देश की ७० प्रति शत जनसंख्या समाजवादी समाज के दायरे से बाहर रहेगी। छोटे किसान और भूमिहीन मज़दूरों के करोड़ों परिवारों के मन में न उमंग और उत्साह होगा और न समाज में उनका सम्मानपूर्ण स्थान होगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने प्रस्ताव किया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अगले सालों में जुताऊ जमीन पर एक सीमा लगाई जाए। इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति या परिवार भूमि न रख सके। जिसकी जुताई में इस सीमा से अधिक भूमि होगी उससे लेकर जमीन मुनासिब तरीके से दूसरों को बाँट दी जाए। कुछ ऐसे किसान हैं कि जिनकी अपनी जोत में तो कम जमीन हैं

और अपनी बाकी जमीन जिन्होंने असामियों को लगान पर दे रखी है। इन लोगों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि किसानों से अपनी कुछ जमीन छुड़ा लें। लेकिन साथ ही यह भी न होना चाहिए कि आसामी के पास कुछ जमीन न रहे। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जहाँ मालिक किसान के पास अपनी ज्ञाताई में कम जमीन है वह अपने आसामी से कुछ जमीन बापस ले सकता है, लेकिन कुछ जमीन आसामी के पास भी बाकी रहेगी। इस प्रकार जो जमीन प्राप्त होगी वह उन बेदखल हुए किसानों और छोटे-छोटे किसानों में और भूमिहीन मजदूरों में बाँटी जाएगी। फलस्वरूप गाँव के बहुत से छोटे-छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर जिनको आज न कोई आशा है और न जिनकी कोई इज्जत है, उनको भी जमीन मिल सकेगी।

भूमि पर क्या सीमा लगाई जाए, यह एक दिलचस्प सवाल है। योजना आयोग ने इस पर बहुत विचार किया। क्या यह कह दिया जाए कि इतने एकड़ से अधिक जमीन कोई व्यक्ति या परिवार नहीं रख सकेगा, या यह कहा जाए कि अमुक आमदनी देनेवाली जमीन से अधिक जमीन कोई व्यक्ति या परिवार नहीं रख सकेगा। व्यक्ति किसको कहा जाए? परिवार की क्या परिभाषा हो? भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमियाँ हैं, कुछ सिचाई वाली, कुछ सुशक, कुछ अधिक उपजाऊ और कुछ कम। कुछ राज्यों में भूमि की मांग नहीं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में जमीन बहुत है और जनसंख्या कम। दूसरे ऐसे राज्य हैं कि जहाँ जमीन कम है और जनसंख्या ज्यादा। पश्चिम बंगाल और त्रिवांकुर-कोचीन ऐसे ही राज्य हैं। यहाँ भूमि की मांग बहुत है। सारे भारत में एक नाप-नोल या कसौटी से काम नहीं चल सकता। इन हालात को सामने रखकर आयोग ने यह तजीबीज पेश की है कि विशेषज्ञों की कमेटी नियुक्त की जाए जो कि राज्यों के हालात को जांच-पड़ताल करके जमीन की सीमा निर्धारित करे। यह आवश्यक नहीं कि सारे राज्यों में एक ही सीमा हो।

कुछ लोगों का यह कहना है कि बड़े खेतों के बैटवारे से खेती की पैदावार में कमी होगी। अभी भी देश में कुछ गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है। आगे और भी ज्यादा मंगाना पड़ेगा। जो कुछ जांच-पड़ताल की गई उससे पता चला कि जमीन को पैदावार लाजामी तौर से खेत के बड़े या छोटे होने से बढ़ती या घटती नहीं। कितने साधन उपलब्ध हैं, खेतों में किसान को कितनी दिलचस्पी है और

अच्छी खेती के लिए कितना सलाह-मशविरा मिलता है, इन पर खेती की पैदावार निर्भर करती है। मौजदा हालत में खेती के साधन बड़े किसानों को अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं और अक्सर छोटे किसानों को न कर्जा मिलता है और न पैदावार बेचने की सुविधा होती है। ग्रामीण क्रष्ण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप रिजावं बैंक ने बड़ी संख्या में किसानों को क्रष्ण देने के लिए बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का आयोजन करने का निश्चय किया है। अगले पाँच साल में १० हजार सहकारी समितियाँ बनाई जाएँगी और यह भारतवर्ष के एक-तिहाई हिस्से में फैली होंगी। इनका मुख्य लक्ष्य होगा कि छोटे और औसत दर्जे के किसानों को कर्जे की सहायता दी जाए। सामुदायिक विकास-योजनाएँ और विस्तार सेवाएँ जो विकास का कार्य कर रही हैं उससे छोटे और मध्यम किसानों को उत्तम प्रकार की खेती करने में उचित सलाह-मशविरा मिलेगा और जमीन पाकर छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों में एक नया जीवन पैदा होगा। मुझे इसमें शक नहीं कि इन तमाम सुविधाओं के पाने पर यह नया किसान देश की दौलत बढ़ाने में कोई कमी न छोड़ेगा और देश की पैदावार घटने को बजाए बढ़ेगी।

आपको यह पता होगा कि हमारे पड़ौसी देश चीन में भी खेती की वही हालत थी जो हमारे यहाँ है। भूमि छोटे-छोटे टकड़ों में बँटी थी। थोड़े से मुट्ठी भर किसानों के हाथों में अधिक जमीन थी और छोटे और मध्यम किसानों के हाथ में कम जमीन थी। छोटे किसान के पास न पैसा था, न उसे कर्जा मिलता था। चीन ने सहकारी खेती की योजना चलाई और पिछले तीन वर्ष के अन्दर ७० प्रतिशत किसान परिवार इसमें शामिल हो गए। इस सहकारी खेती के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग प्रथम पंचवर्षीय योजना में किए गए। मेरा विश्वास है कि सफल खेती का आधार भविष्य में सहकारिता के ऊपर निर्भर होगा। सहकारिता के आधार पर बड़े फार्म बनेंगे जिनको कर्जा, सिंचाई, अच्छा बीज, साद और दूसरी सुविधाएँ आसानी से दी जा सकेंगी। सहकारी फार्म नई-नई जानकारी और विज्ञान की खोज से भी फायदा उठाएँगे, उनकी पैदावार बढ़ेगी। साथ ही खेती से सम्बन्धित और कुछ दूसरे किसम के छोटे-छोटे उद्योग-धन्वे भी सहकारी किसानों को दिए जाएँगे, जिनसे उनको सुविधा मिलेगी।

कुछ किसानों की तरफ से यह आवाज भी उठाई जाती है कि जमीन पर हृदबन्दी से किसान बर्बाद हो जाएँगे। यह आवाज ज्यादातर बड़े किसानों की ओर से उठाई जाती है। पहले कुछ आँकड़े दिए गए हैं जिनसे पता चलता है

कि २५ एकड़ से अधिक जमीन रखनेवाले केवल ५ प्रति शत किसान हैं। ५ प्रति शत की आवाज़ को तमाम किसानों की आवाज़ कहना गलत है।

यह भी कहा जाता है कि भूमि हृदयन्दी से ग्रामीण जनता पर अन्याय किया जा रहा है। शहरी आमदनी के ऊपर जब तक हृदयन्दी न की जाए उस वक्त तक जमीन पर हृदयन्दी लगाना अन्याय है। समाजवादी समाज केवल गाँवों के लिए ही नहीं बल्कि सारे भारत के लिए है। मैं इस असूल को मानता हूँ कि अमीर और गरीब का अन्तर शहरों में भी इसी प्रकार कम होना चाहिए जैसा गाँवों में। मगर हर काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता। यह अन्तर गाँवों में एक तरीके में कम किया जाएगा और शहर में दूसरे तरीके से। शहरी आमदनी में हृदयन्दी करने का तरीका दूसरा है, वह है, करों के जरिए। देशी और विदेशी विशेषज्ञों ने इसकी भी कुछ जाँच-पड़ताल की और कलडौर नामी एक अर्थ विशेषज्ञ ने करों के ढाँचे को बदलने की स्कीम पेश की है कि जिससे शहरी आमदनी में बराबरी लाई जा सके। पूँजी कर, मृत्यु कर और व्यय कर आदि उनकी तजबीजों में है। बराबरी, गाँव और शहर दोनों में लाई जाएगी लेकिन मुनासिव और अलग-अलग तरीके में।

यह भी दलील दो जाती है कि बड़े खेत बहुत कम हैं और भूमिहीन और छोटे किसान ज्यादा। बड़े किसान से

युग-निर्माता गान्धी—[पृष्ठ ५ का शेषांश]

जीवन में लक्ष्य को महता बहुत बड़ी है, क्योंकि वह मंजिल के अगले पड़ाव के समान जीवन को दिशा देता रहता है। पर जो अमली जीवन हम जीते हैं, वह सब तो साधन ही साधन है, यानी राह ही राह है। इस कारण यदि साधन अपवित्र हुआ तो सारा जीवन ही अपवित्र हो गया। इसी कारण व्यक्ति, राष्ट्र और समाज के जीवन में एक बुराई कितनी ही अधिक बड़ी बुराइयों को जन्म देती है। हमारा आज का लक्ष्य कल मंजिल का एक पड़ाव बन जाएगा और नवा लक्ष्य हमारे सामने आ खड़ा होगा। अगर पथिक गलत राह पर चल दिया तो वह ठीक मंजिल पर कहाँ पहुँच पाएगा?

और एक दिन यह महान युग पुरुष एक धरण का भी नोटिस दिए बिना चुपचाप अपने 'राम' के पास चला गया। मानव जाति के इतिहास में ऐसे महान जीवन का इतना विराट अन्त कभी-कभी ही हुआ। और जब वह युग पुरुष इस तरह एकाएक चला गया तो मानव जाति ने पाया कि

जमीन ले भी ली गई तो बहुत थोड़े से किसान और भूमिहीन मजदूरों को उससे फायदा होगा, जब तक कि अधिकतम भूमि की सीमा मुकर्रर न हो तब तक यह कहना कठिन है कि कितने लोगों का फायदा होगा। मगर छोटे तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ राज्यों के लिए यह अन्दाज़ा लगाया गया है कि यदि २० एकड़ पर मोमा लगाई जाए तो इन्होंने जमीन मिल मक्ती है कि लगभग ४० प्रति शत भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों को पाँच एकड़ तक जमीन दी जा सकती है। इस दलील को भी जाने दीजिए। अमीरी और गरीबी के फर्क को कम करना हमारे मुख्य सिद्धान्तों में से है। गाँवों में यह बराबरी जमीन के बैटवारे से लाई जा सकती है। इसमें एक नया समाज बनेगा, नई उम्मीदें पैदा होंगी, जो आज अँधेरे में हैं उन्हें रोशनी मिलेगी। मेरा विश्वास है कि जब तक भूमि की व्यवस्था में कानूनिक परिवर्तन नहीं होगा, नया बैटवारा नहीं होगा, छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों को इज्जत न दी जाएगी उस वक्त तक हमारा ग्रामीण समाज ज्यों का त्यों पिछड़ा रहेगा। भूमि का बैटवारा शहरों में बराबरी लाने के लिए बड़ी हुई सेना की अग्रवंकित का काम करेगा। भारत की बड़तों उमंगे बड़ी हृद तक इस पर निर्भर है। देश के समाज का नवनिर्माण करनेवालों की यहीं पर्दीज्ञा है। मुझ आशा है कि वे पूरा उतरेंगे।



इस एक मत्यु से माना पश्ची का आँचल कितना सूना-सूना हो गया है।

जब वह महान अपरिग्रही चला गया, तो यह देख कर विश्व भर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि जिस व्यक्ति के इशारे मात्र पर करोड़ों रुपया एकत्र हो जाता था, वह व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में छोड़ गया है: एक चपल की जोड़ी, एक ऐनक, एक घड़ी, कुछ कपड़े और तीन बन्दरों की एक मूर्ति!

परन्तु वह युग पुरुष न सिर्फ हमारे देश के लिए अपितु विश्व भर के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ गया है, जो आज तक की सभी प्राप्त सम्पत्तियों से अधिक मूल्यवान है। उस विरासत के रूप में वह एक ऐसा क्रियात्मक आदर्श छोड़ गया है, जो आदर्श आज के एटम शवित युग में मानव जाति की रक्षा कर सकेगा।

आज से ८७ वर्ष पूर्व इस महान विभूति का जन्म हुआ था। इस पुष्य वर्ष पर सारा राष्ट्र अपने बापू की वन्दना करता है।



अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री ताराचन्द




गिरवा के विकास अधिकारी याम-नेताओं को रस्सी बनाने की मशीन मेंट कर रहे हैं



याम-नेताओं की गोष्ठी
शिविर का एक मनोरंजक कार्यक्रम

राजस्थान याम-मुखिया शिविर



शिविर में आयोजित कवि सम्मेलन का एक दृश्य



शिविर में प्रान्तःकालान 'रामघुन'

ममानि भूमध्ये ह पर मनो याम-सेना ओ ने काम करने की प्रतिष्ठा की

शिविर के मानसोचिक कर्मकार्म की एक छवि





शिविर के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक अन्य भाँकी

शिविर में सहभोज का एक हथय

शिविर के समाजित समारोह की एक भाँकी



मध्य भारत और राजस्थान के योजना आयुक्त याम-नेताओं से वातचीत करते हुए



याम-नेता गोप्ता में
१० सी० एम० के सदस्य



एक सफल परीक्षण

गजानन्द डेरोलिया



शिविर में सहभोज का एक दृश्य

लगाड़ी हमें लिए हुए ऊंचे पहाड़ी मार्ग की टेढ़ी-मेढ़ी लाइनों को तेज़ी से पार कर रही थी। स्थान-स्थान पर हरे-भरे जंगल, जलप्रपात, सुन्दर झीलें और विशाल तालाब अत्यन्त सुहावने लग रहे थे। २५ जून को मध्याह्न में २॥ बजे मुझे तथा कुछ अन्य मुखियाओं को लिए गाड़ी झीलों के सुन्दर नगर और बीर भूमि मेवाड़ की भूतपूर्व राजधानी उदयपुर पहुँची। गिरवा विकास खण्ड उदयपुर में है। यहाँ प्रथम बार राजस्थान के समस्त विकास खण्डों के प्रतिनिधि ग्राम-मुखियाओं का १ भ्राताह का शिविर लगाया गया था जिसमें मुझे भी हिण्डौन सामुदायिक विकास खण्ड के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना था। उदयपुर स्टेशन से हमें शिविर कार्यकर्ताओं ने शिविर स्थल पर पहुँचा दिया।

शिविर स्थल लम्बरदार हाई स्कूल में पहुँचते ही वहाँ विभिन्न विकास खण्डों के प्रतिनिधि मुखियाओं और उद्घाटन समारोह की तैयारी में व्यस्त अधिकारियों की चहल-पहल दिखाई दी। ग्राम-मुखियाओं में से कुछ मेवाड़ी पगड़ी बाँधे, कुछ साफे बाँधे, कुछ गान्धी टोपी पहने, कुछ सूटबूट धारी तथा कुछ नंगे सिर थे। अलग-अलग भाषा बोलनेवाले लोगों का यहाँ एक संगम बन गया था। मुख्यमंत्री ने वहाँ पहुँचते ही खाने के लिए पूछतांछ की। क्योंकि गाड़ी विलम्ब से पहुँची थी, इसलिए जल्दी से कमरे में सामान रख, बिना नहाए-धोए उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए।

राजस्थान भारत सेवक समाज के संयोजक, ग्राम-मुखियाओं,

राज्याधिकारियों तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रथम बार किसी समारोह की अध्यक्षता एक ग्रामीण आदिवासी युवक भानजी भाई ने की।

शिविर में प्रतिदिन प्रातःकाल झण्डाभिवादन के पश्चात् रामधुन होती थी, जिसमें मुखियाओं के अतिरिक्त अधिकारीगण और मंत्रिगण भी भाग लेते थे। एक दिन तो अमेरिकी प्राविधिक मिशन के प्रतिनिधि भी रामधुन में सम्मिलित हुए। इसके बाद दिन में दो बार विचार गोष्ठियों में पूर्वनिश्चित विषयों पर विचार-विनिमय किया जाता था। प्रत्येक सभा का अध्यक्ष बारी-बारी से ग्राम-मुखियाओं में से कोई एक होता और बातचीत का श्रीगणेश अधिकारी करते। निर्धारित विषयों पर मुखियाओं द्वारा प्रगट किए विचार स्वतंत्र, निर्भीक, उपयोगी और महत्वपूर्ण होते थे जो कभी-कभी तीव्र आलोचना का रूप भी ले लेते थे। कई वक्ताओं ने विकास-योजनाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिनमें से मुखियाओं में चरित्रबल की आवश्यकता और साइकारों द्वारा शोषण को समाप्त करने की मांग प्रायः सर्वसम्मत थी। विकास-योजनाओं में ग्राम-मुखियाओं का योग, पंचायतों की उन्नति, विकास-योजनाओं का भविष्य, सहकारिता का प्रसार, कृषि विकास आदि शिविर के मुख्य विचारणीय विषय थे। शिविर के संचालन के लिए मुखियाओं की एक समिति का संगठन किया गया। एक व्यक्ति शिविर-नेता चुना गया।

शिविर के आयोजन और सफलता में राज्याधिकारियों का प्रयत्न प्रशंसनीय रहा। बातावरण अत्यन्त व्यस्त रहने के बावजूद भी प्रेम, सहयोग और हँसी-मज़ाक से भरपूर था। मुखियाओं के दिन भर के थके भवित्वको स्वस्थ बनाने के लिए सायंकाल सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम और कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। एक दिन तो यह कार्यक्रम सफलता की चरम-सीमा पर पहुँच गया जब कि राजस्थान के अनेक उच्चाधिकारी अभिनेता और विद्वाषक बनकर मंच पर उतर पड़े और गाना गाने लगे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 'शिविर समाचार', 'छमछमाछम' और 'फुलझड़ियाँ' नामों से शिष्ट मनोरंजन से पूर्ण ब्लेटिन निकाले जाते थे। राजस्थान के मुख्य मंत्री, विकास आयुक्त, गृह एवं विकास मंत्री, वित्त मंत्री, विकास संचालक, मध्य भारत के विकास आयुक्त तथा अमेरिकी प्राविधिक मिशन के हँसमुख प्रतिनिधि उन उल्लेखनीय व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने शिविर को अपने महत्वपूर्ण अनुभव और मुद्दाव दिए। झाड़ू लगानेवाले कर्मचारी से लेकर गिरवा भवालक और अधिकारी सब अपने-अपने काम पर मुस्तैद थे। उनकी तत्परता के कारण हमें किसी प्रकार का अभाव नहीं खटका और हमारी हर मांग 'बड़ो हुक्म' के साथ तुरन्त पूरी कर दी जाती थी। अपने खण्डों में प्रचलित करने के लिए हर मुखिया को गिरवा विकास खण्ड की ओर से गँसी बनाने की एक उपयोगी गशीन गेंठ की गई।

शिविरार्थियों ने अपने-अपने विकास अधिकारियों के नाम लिखकर अपने खण्डों में विभिन्न विकास कार्य करने की प्रतिज्ञा की। ये प्रतिज्ञा-पत्र शिविर के समाप्ति समारोह में विकास मंत्री की भेंट कर दिए गए।

उदयपुर बालों का आतिथ्य तो सर्व-प्रसिद्ध है। गिरवा विकास खण्ड के मटूण, लकड़वास तथा भोइयों की पचोली ग्रामों में ग्रामीणों की ओर से मुखियाओं को प्रीति भीज दिए गए। हर जगह स्वागत द्वारा बनाए गए और बन्दनवारें बाँधी गईं। महिलाएँ मंगल गीत गातीं बढ़ और प्रोड़ जन राम-राम करके तथा बालक जयहिन्द करके तुमुल घोष से हमारा हार्दिक स्वागत करते।

हमने देखा कि गाँवों में जगह-जगह आदर्श बाक्य लिखे हैं। श्रमदान द्वारा जन मार्गों, कूपों, तथा जवाहर बाल-मन्दिरों का निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ है। लोगों में श्रमदान के प्रति काफी उत्साह दीख पड़ता है। सहकारी संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। उदयपुर में पहले से

ही शिक्षण तथा अन्य विकास मंस्थाओं का प्रसार होने के कारण गाँवों के लोगों में काफी जागृति पाई जाती है। अन्य मंस्थाओं की ओर से नगर में नई बस्तियाँ, गाँवों में अल्पकालीन कृषि से आधुनिक हरिजन बस्तियाँ, व सामुदायिक विकास केन्द्र आदि बनाने के महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। तहसील पंचायत गिरवा के सरणंच एक उत्साही और समाज-सेवी युवक हैं।

उदयपुर में दर्शनीय स्थान, मुन्दर मनोरम झीलें, प्राकृतिक सौनदर्य, कला तथा ऐतिहासिक स्थल जगह-जगह हैं। समय-अभाव के कारण हमें अनेक चीजों को देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो सका परन्तु फिर भी उदयनिवास, फतहसागर, सहेलियों की बाड़ी, महाराणा के महल, गुलाब बाग भूनिजयम, पोछोला झील में स्थित जगमन्दिर और जगविलास तथा लगभग ४०० वर्ष पूर्व निर्मित जगदीश मन्दिर हमने देखे। मन्दिर के प्रवेश द्वार, शिखरों तथा दीवारों पर बनी मुन्दर कलात्मक मूर्तियाँ दर्शनीय हैं। उदय निवास उदयपुर से ८ मील दूर वह स्थान है जहाँ अजमेर के राजा मानसिंह को ठहराया गया था। फतह सागर एक मुन्दर झील है और सहेलियों की बाड़ी के फूव्वारों को मुन्दरता देखने योग्य है। महलों में काँच की पच्चोकारी, एक पत्थर का हौज, एक पत्थर का बना कमरा आदि मुख्य वस्तुएँ हैं। पीछे की ओर पोछोला झील है जिसमें स्थित जगमन्दिर में शाहजादा खुरम को शरण दो गई थी। जगविलास महाराणा का चार-मंजिला निजी प्रासाद है जिसमें मुख्य, विलास और ऐश्वर्य के सभी साधन एकत्रित किए गए हैं। महल के झरोखों से शहर का दृश्य, चारों ओर फैली जलनिधि, तथा चारों ओर फैली हरे प्राकृतिक परिधानों में लिपटी अरावली की शूखलाएँ मन को मोहित करती हैं। महल में रखा काँच की कटाई का फर्नीचर और कुछ तैलचित्र अत्यन्त मुन्दर बन पड़े हैं। पीछोला झील में ४० मुखिया साथियों के साथ नौकाविहार का प्रत्येक धण मुखद और आननददायक था। जगदीश मन्दिर में 'मीरा के गिरधर नागर' की ऐतिहासिक मूर्ति के दर्शन किए।

मुखियाओं की विकास कार्यों को देखने और नाथद्वारा के दर्शन करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए राजसमन्द-रेलमगरा विकास खण्ड की यात्रा के लिए बस द्वारा उदयपुर से रवाना हुए। नाथद्वारा पहुँचते ही वहाँ के विकास अधिकारी और तहसील पंचायत के सदस्यों ने हमारा स्वागत किया और चाय पिलाई। कुछ विलम्ब से पहुँचने के कारण हमें उस समय श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हो सके और

पहले हम विकास मण्ड की 'यात्रा' पर गए । बरनाड़ा ग्राम में पहुँचते ही राजसमन्द के विकास अधिकारी तथा ग्रामीणों ने प्रेम से हमें मालाएँ पहनाई और गुलाल लगाया । हमने गाँव में बने जबाहर बाल मन्दिर, नलकूप, सामुदायिक मंच तथा बालकीड़ा केन्द्र और नहर को देखा । गाँव वालों में चेतना और श्रमदान के प्रति आस्था पाई । एक ८० वर्षीय वृद्ध ने बड़े उत्साह से कहा—“म्हानै राजरा पीसारी मदद नी चावै, म्हानै तो राजरा आदमी आ बता दे कि इं नहर री नाड़ी ईं रास्ता अूं जाणी चावै, फेर म्है तो आपड़ी ही बणा लेवां ।” वृद्ध के इस उत्साह ने हमें प्रेरणा दी । इस ग्राम की परिवार संख्या केवल ४५ ही है फिर भी इन लोगों ने १४ हजार रुपए का श्रमदान किया है ।

इसी दिन ग्राम पंचायत के केन्द्र धुइन्दा में हमारी दावत थी । स्वागत के लिए आतुर ग्रामवासियों का उत्साह चरम सीमा पर था । धुइन्दा पहुँचते ही हमें मालाओं से लाद दिया गया और जोर की गुलाल वर्षा की गई । स्वागत के उत्तर में धन्यवाद देते-देते मेरे पास शब्द समाप्त हो रहे थे परन्तु ग्रामीणों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं दिखती थी । यहाँ नवयुवक संघ, विकास मण्डल, महिला मण्डल, किसान संघ आदि संस्थाएँ चल रही हैं । यहाँ से हम काँकरोली गए जहाँ हाई स्कूल में हमारी चायपार्टी थी । एक स्थानीय कवि सम्मेलन में एक कवि ने हल्दीघाटी के पीपल की करुण गाथा बड़े ही हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक शब्दों में सुनाई ।

काँकरोली से वापस आकर हमने नाथद्वारा में मंगला की झाँकी के दर्शन किए । अव्यवस्था होने के कारण दर्शनार्थियों की संख्या अधिक न होने पर भी धक्का-मुक्की होती है । पण्डे लोग पंखा, अंगों से महिलाओं पर प्रहार करते

हैं । भारत का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ करोड़ों की सम्पत्ति, अपार वैभव और अतुल ऐश्वर्य होते हुए भी अव्यवस्था का शिकार है ।

नाथद्वारा से हम प्रसिद्ध झील और एक प्रमुख आकर्षण राजसमन्द (नौचौकी) देखने गए । गान्धी सेवा केन्द्र के विभिन्न जनोपयोगी कार्यों को देखने के बाद हमने मनोरम झील राजसमन्द के प्राकृतिक और कला सौन्दर्य को देखने का आनन्द लिया । तीनों और प्राकृतिक पहाड़ियाँ विशाल झील का लहराता जल, विशाल घाट, उन पर बनी छतरियाँ और तोरण यहाँ स्वर्ग को उतार लाए प्रतीत होते हैं । घाट, इनकी सोडियाँ और चौकियों की तरुणा का नौ होना यहाँ की विशेषता है जिसके कारण इस स्थान का नाम नौ चौकी पड़ा । किनारे पर महाराणा का महल है । तोरणों और छतरियों की कला अत्यन्त उत्कृष्ट और सजीव बन पड़ी है ।

राजस्थान सरकार ने समस्त राजस्थान के ग्रामीणों की शक्ति को एकत्रित कर विकास कार्यों में उसका उपयोग करने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया । यह परोक्षण काफी सफल रहा । शिविर में अधिकारियों को गाँववालों की कठिनाइयाँ और उनके हल, दृष्टिकोण तथा मुख्याओं को सरकार का उद्देश्य, दृष्टिकोण और अपना कर्तव्य समझने का अवसर मिला । इसके अनुभवों और निश्चयों से अनेक कमियों को दूर करने का अवसर मिल सकेगा । भविष्य में होने वाले ऐसे शिविर निश्चय ही अधिक सफल होकर ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे ।

एक सप्ताह शिविर में आनन्दपूर्वक बिताने के बाद हम विदा हुए । यद्यपि शिविर समाप्त हुए कई महीने होने को आए, परन्तु साथियों की याद और शिविर की स्मृतियाँ आज भी ताजा बनी हुई हैं ।



हमारे हाथ में भगवान् ने वह ताकत दी है जिससे हम चाहें तो यहाँ पर स्वर्ग ला सकते हैं और नरक भी ला सकते हैं । गाय को धास खाना लाज़िमी है, वह गोश्त खा ही नहीं सकती । याने वह पुण्य ही कर सकती है, पाप नहीं । शेर को गोश्त खाना ही लाज़िमी है, वह चाहे तो भी धास नहीं खा सकता । याने उसे पाप करना लाज़िमी है, वह पुण्य नहीं कर सकता । लेकिन मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर सकता है । वह आज़ाद है और पशु आज़ाद नहीं । मनुष्य जानवर से भी नीचे उतर सकता है और परमेश्वर के करीब भी पहुँच सकता है । भगवान् ने मनुष्य को वह ताकत दी है कि वह चाहे जैसा बने ।

—विनोदा भावे

बिल्ली के घंटा कौन बाँधे ?



जानकारों का कहना है कि सन्ताति नियमन देश के लिए बहुत जरूरी है




देश विजीटरों को समझाया जाता है कि सन्ताति नियमन क्यों आवश्यक है



समाज शिक्षा संगठनकार्ताओं को बताया जाता है कि सन्ताति नियमन हमारे कार्यक्रम का अंग है



ग्राम सेवकों को ग्रामों की अर्थी व्यवस्था में सन्ताति नियमन के महत्व से परिचित कराया जाता है



और आपमी वातचीत में भी वे सन्ताति नियमन की आवश्यकता पर जोर देते हैं—



परन्तु माँवालों को कौन समझाए ?

ग्राम-सुधार की दिशाएँ

वी० टी० कृष्णमाचारी

पंचवर्षीय योजना क्या है ? अक्सर लोग यह सोच लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना कोई बड़ी कठिन किताब है जिसमें कई तरह की योजनाओं और स्कीमों का वर्णन है, जिनको कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में अमल में लाना है। लेकिन यह एक गलत दृष्टिकोण है। पंचवर्षीय योजना उन सब कोशिशों का मूर्त रूप है जो कि सरकार और जनता नए भारत को बनाने के लिए कर रही है।

इन कोशिशों के बोच सामुदायिक विकास-योजनाओं की क्या जगह है? जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की जनता का ८० फी सदी भाग गाँवों में रहता है। कार्यकर्ताओं का काम यह है कि वे भारत की जनता को यह महसूस करावें कि वह अपनी ही कोशिशों से अपने जीवन में तबदीली ला सकती है। हमारे सामने खास काम यह है कि हम गाँवालों में अधिक अच्छे जीवन के लिए काम करने को लगान जगावें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है। आप सब जानते हैं कि आज भारत के गाँवों का जीवन जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। इसकी वजह जानने के लिए हमें शायद मैंकड़ों साल पहले की ओर निगाह डालनी होगी। अब देश में एक नई ज़िन्दगी करवाटे ले रही है, नई इच्छाएँ कुनमुना रही हैं, नई आशाएँ और नई आकांक्षाएँ जाग रही हैं और हम एक ऐसे संगठन को बना रहे हैं जो जनता को अधिक अच्छे रहन-सहन की तरफ ले जाने में सहायक होगा, उनमें अधिक अच्छी ज़िन्दगी की इच्छा पैदा करेगा और उनको ऐसी ताकत और ऐसा निश्चय मिलेगा जिसके ज़रिए अधिक अच्छे जीवन को प्राप्त करना सम्भव होगा। सामुदायिक विकास-योजनाओं का यही उद्देश्य है।

अब सवाल यह है कि जनता की भावना और दृष्टिकोण में इस तरह की तबदीली लाने के लिए हमें किन-किन दिशाओं में काम करना चाहिए। सब से पहले तो हमको ज्यादा से ज्यादा रोज़ी-रोज़गार और ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर ज़ोर देना है और उसके लिए काम करना है। इस प्रकार का काम ही सब प्रकार के ग्राम-सुधार की जड़ है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में खेती मौसम की हालत पर निर्भर करती है। साल के तीन से लेकर चार महीनों तक ही हमारे यहाँ बरसात होती है। सिर्फ़ इन्हीं महीनों में खेती-किसानी के काम चल सकते हैं। सारे भारत

में केवल पाँचवें हिस्से में ही सिंचाई का इंतजाम है और इसी हिस्से में लोग दूने समय में, यानी ६ से सेकंदर ८ महीने तक, खेती-किसानी का काम कर सकते हैं। नतोंजा यह तोता है कि भारत में ५ करोड़ से लेकर ६ करोड़ परिवार तक सिर्फ़ साल के कुछ हिस्से में ही काम में लग पाते हैं। जोटे तौर पर यह कहा जा सकता सकता है कि करोब चार करोड़ से लेकर पाँच करोड़ तक परिवार साल में तीन से लेकर चार महीने तक काम में लगते हैं और बाकी इससे दूने समय तक काम में लगते हैं। इससे यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्यों यह देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है। साफ़ है कि इसकी वजह बढ़ी-चढ़ी बेरोज़गारी है। एक दूसरी बात भी है; उन महीनों में भी जब कि खेती-किसानी का काम चलता रहता है, माल के कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जबकि खेत जीतने या फसल काटने जैसे काम पूरी-पूरी तरह और पूरे जोरों से चलते हैं। उन दिनों के अलावा वाको समय में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरत खेती-किसानी के लिए नहीं रह जाती। इस सब बेरोज़गारों और उसके असर को देखते हुए, जो कि जनता के आर्थिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन पर भी पड़ता है, हमें चाहिए कि हम उसे दूर करने के लिए कोशिश करें और हरेक परिवार को ज्यादा रोज़ी-रोज़गार के मौके देकर पैदावार को बढ़ाएँ। इस काम में सामुदायिक विकास-योजनाओं से बड़ी सहायता मिलेगी। दरअसल यहीं उनका सब से अधिक महत्वपूर्ण काम है।

एक दूसरी दिशा, जिधर कार्यकर्ता मददगार सावित हो सकते हैं, यह है कि जनता को यह अनुभव कराया जाए कि तरक्की तभी हो सकती है जबकि लोग खुद मेहनत और कोशिश करें। सरकार सिर्फ़ उनको मदद कर सकती है लेकिन मुख्य प्रेरणा, पहल और कोशिश तो जनता की ही होनी चाहिए और गाँवों को दशा में सुधार को जिम्मेदारी कुल मिलाकर पूरे समाज पर है। इस समस्या को सिर्फ़ कुछ थोड़े से लोग, जो कि गाँव में जाकर सुधार या पैदावार बढ़ाने का काम करते हैं, नहीं सुलझा सकते। इसके लिए तो गाँवों में रहनेवाले सभी लोगों को मिल-जुल कर गाँवों को अवस्था का सुधार करना होगा और पूरे ग्राम-

जीवन को ही सम्मिलित रूप में ऊँचा उठाना होगा। हम सब को, जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं, इस दूसरे पाठ को अच्छी तरह दिल में जमाना होगा और इसे अपने उदाहरण और अपने आचरण के द्वारा लोगों को सिखाना होगा। स्वावलम्बन या अपनी मदद आप करना और सहकारिता या चिल-जुल कर काम करना गाँव के विकास की कुंजी है।

एक तोंसरी दिशा भी है जिथर सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं को लोगों के दिलों में तबदीली करना है। उन्हें लोगों को बताना है कि देश में करोड़ों आप जैसे परिवार हैं जिनको सामर्थ्य का उपयोग अभी साल के कुछ महीनों के लिए ही किया जा रहा है। यह सामर्थ्य, यह ताकत बहुत बड़ी है और इसका प्रयोग सिर्फ सम्बन्धित व्यक्तियों को भलाई के लिए हो नहीं, बल्कि सारे समाज की भलाई के लिए करना चाहिए।

ऊपर जिन तीन सुख्य सिद्धान्तों को चर्चा को गई है उन पर चलते हुए और उनको सभी तरह की कार्रवाई को बुनियाद बनाते हुए ही सामुदायिक विकास के काम का संगठन करनेवाले, गाँव वालों को एक नया दृष्टिकोण और गाँव के जीवन को एक नया रूप दे सकते हैं कि पीड़ी-दर पीड़ी जो बातें अभी तक चली आ रही हैं उनमें तबदीली हो और गाँववालों को नई-नई बातें बताई जाएँ और ज़िन्दगी के नए नए रास्ते दिखाएँ जाएँ। गाँवों में रहने वालों जनता के दृष्टिकोण में इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए हम किस प्रकार के संगठन से काम लेने जा रहे हैं? योजना आयोग की रिपोर्ट में हमने राष्ट्रीय विस्तार संगठन की चर्चा की है। हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भी शुरू कर चुके हैं। इन दोनों ही संगठनों का उद्देश्य करीब-करीब एक ही सा है। जब हम राष्ट्रीय विस्तार संगठन की या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की चर्चा करते हैं, तो हम करीब-करीब एक ही समान संगठन को बात करते हैं। इस तरह के संगठन का बुनियादी विचार न तो भारत के लिए नया है और न दूसरे देशों के लिए। जिनको हम विस्तार सेवाएँ कहते हैं, वे अमेरिका में, इंग्लैंड में, डेनमार्क में, हालैंड में और कुछ दूसरे देशों में भी कई सालों से काम कर रही हैं। भारत में भी देश के विभिन्न भागों में ये सेवाएँ आज से पहले संगठित की जा चुकी हैं और इनके जरिए सफलतापूर्वक काम हुआ है। मैं फिर दुहरा दूँ कि बुनियादी सिद्धान्त यह है कि हम गाँववालों के दृष्टिकोण को बदलने को कोशिश करें और उनसे कहें कि वे अपने सुधार

के लिए खुद ही काम करें। अगर एक बार हम अपने यहाँ के ग्राम वासियों को पूरी तरह जगा दें और उन्हें रचनात्मक कामों में लगा दें तो मैं समझता हूँ कि देश में सुधार की असीम सम्भावनाएँ हैं।

समाज शिक्षा का संगठनकर्ता सामुदायिक कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इनका मुख्य काम यह है कि वे लोगों के दृष्टिकोण में वह परिवर्तन लावें और वह मानसिक क्रान्ति करें जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है। पूछा जा सकता है—“क्या आपको पूरा-पूरा विश्वास है कि इस तरह की मानसिक क्रान्ति सम्भव है, और क्या उसे लाया जा सकता है?”

मेरा जवाब है—“ज़रूर!” मैं जानता हूँ कि हमारे पास वे सब भौतिक साधन नहीं हैं जो कि अन्य देशों के पास हैं। अमेरिका की ही बात लोजिए। वहाँ जितने इलाके पर खेती हो रही है उसका रकवा हमारे यहाँ के खेती वाले इलाके से ढाई गना है। वहाँ की आवादी हमारे यहाँ की आवादी से करीब-करीब आधी है और उस आवादी का २० फी सदी भाग खेतो-बाड़ी के काम में लगा हुआ है। इसकी तुलना आप भारत से करिए। आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे यहाँ खेतो-बाड़ी के रास्ते में कौन से अङ्गे हैं; इसके अलावा एक और भी बड़ा अङ्ग है। करीब-करीब सारे भारत में बहुत काफ़ी मौसम ऐसा रहता है जबकि पानी नहीं बरसता। हम खेतो-बाड़ी के काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि सिचाई की सहायियतें न हों। दूसरे देशों के मुकाबले, जहाँ कि वरसात का मौसम कहीं ज्यादा लम्बा होता है, यह एक बड़ी असुविधा है। लेकिन इस देश में कई साल काम करने के बाद मैंने एक बात पाई है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि भारत के किसान दक्षिणी होते हैं। यह एकदम गलत बात है। मैंने देखा है कि वे हमेशा सुधार की अपनाने के लिए इच्छुक और तैयार रहते हैं। लेकिन उनके पास बहुत थोड़े साधन होते हैं। वे कोई खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर कोई खास सुधार उन्हें उपयोगी मालूम हो तो वे तुरन्त उसे स्वोकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

हमें गाँववालों के दिलों में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाना है और सुधार की भावना पैदा करना है जिससे कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ उन सब सुधारों को पूरा कर सकें जिनको दूसरी जगहों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। जब तक हरेक किसान परिवार अपन

(शेष पृष्ठ १९ पर)

गिरती दीवारें

मुश्तक अहमद खाँ

नम्बरदार की चौपाल में गाँव के कुछ बड़े-बड़े हुक्के का आनन्द ले रहे थे तथा इधर-उधर की गप्पे हाँक रहे थे। तभी रामलाल उधर से गुज़रा। उसको देख कर चौधरी मनीराम ने रहस्यमय ढंग से मुस्करा कर खखारा और कहने लगा—“नम्बरदार जी, कल रात को जब मैं शहर से आ रहा था तो शमशान से हरिराम ने मुझे आवाज़ दी। मैं तो डर के मारे कुछ भी नहीं बोला, पर वह कमबख्त खुद ही कहने लगा कि वह भूखों मर रहा है। उसने मुझ से कहा कि मैं गाँववालों से कहकर उसके छोकरे से उसके (हरिराम के) लिए कुछ खर्च करवाऊँ।”

“ऐसा ही परसों मेरे साथ हुआ,” मन्दिर के पुजारी भगवान दास ने कहा—“उस रात को मेरे घर के किवाड़ पिटने लगे। पूछने पर उसने बताया कि वह हरिराम है और भूखों मर रहा है। उसके छोकरे ने उसके पीछे कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब उसकी मुकित होनी मुश्किल है।”

“तो हरिराम भूत बन गया?”

“और नहीं तो क्या, जब उसके लड़के ने उसको ‘तेरहवीं’ ही नहीं की तो भूत न बनता तो क्या सीधा स्वर्ग में चला जाता? अब उस गरीब की आत्मा यों ही भटकती फिरेगी।” पुजारी जी ने फिर कहा।

“अरे, उसके पास है भी क्या जो वह कुछ करे। पाँच सौ रुपए तो हरिराम उस पर कर्ज ही छोड़ गया है,” एक व्यक्ति बोला।

“पास होने न होन का क्या सवाल है, मैं अब भी उसको जितने रुपए चाह देने को तैयार हूँ। पर उसकी तो नीयत में फरक आ गया है”, गाँव के सेठ धनीराम ने अकड़ कर कहा।

“मेरे पिता जी का देहान्त हुआ तब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मगर जेवर वगैरा गिरवी रख कर मैंने उनकी ‘तेरहवीं’ तो की ही।”

“उसे यह खयाल तो है ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे। बेर्शम हो गया है। कर्ज से बचने के लिए आदर्शवाद का ढोंग रखता है।”

“अरे, यह सब उस ग्राम सेवक की करतूत है। पहले तो वह यही कहता था—‘नए हल, अच्छे बोज, नए औजार और अग्रेजी खाद का प्रयोग करो। गोबर उपयोगी खाद है,

इसको मत जलाओ, घर को और गाँव को साफ-सुथरा रखो इत्यादि।’ पर अब तो वह हमारे सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगा है। प्राचीन काल से चली आ रही बहुत-सी प्रथाओं को वह समाज के लिए हानिकारक बताता है।” उपस्थित लोगों में से एक ने कहा।

“हमारे जवान छोकरे उसके बहकावे में आ गए हैं। उसने नौजवान कमेटी के नाम से इन छोकरों का एक संगठन बनाया है। यह हरिराम का छोकरा उसी के बहकावे में आ गया दिखता है।”

X X X

रामलाल हरिराम का इकलौता पुत्र है। वह पढ़ा-लिखा तो नहीं है पर आजकल वह रात्रि पाठशाला में पढ़ने जाता है। प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के कथनानुसार उसकी सूझ-बूझ बहुत अच्छी है। ग्राम सेवक द्वारा स्थापित नौजवान कमेटी का वह सक्रिय सदस्य है। वह प्रगतिशील विचारों का समर्थक है। सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं को वह मिटाना चाहता है। बारह दिन पहले उसके पिता का देहान्त हुआ था। गाँववाले उसको उसके पिता की ‘तेरहवीं’ करने पर मजबूर कर रहे हैं। पर वह उनकी बात नहीं मानता है। जब किसी बूढ़ी स्त्री या पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके तेरहवें रोज़ मृतक के वारिस एक बड़े भोज का आयोजन करते हैं। इस भोज में सगे सम्बन्धियों तथा गाँववालों के अतिरिक्त आस-पास के गाँवों से बिरादरी के लोग भी सम्मिलित होते हैं। यह सब मिल कर मृतक के वारिसों का तो दिवाला निकाल देते हैं। कई वर्षों तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती। इस कुप्रथा को ‘मोसर’, ‘खर्च’, ‘नुकता’, या ‘तेरहवीं’ कहते हैं।

X X X

रामलाल ने अपने पिता की मृत्यु पर यह सब कुछ नहीं किया। वह लोगों के सामने आदर्श रखना चाहता है। गाँव वाले उस पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने उसका हुक्का पानी बन्द कर दिया। लोग कहते हैं कि उसका बाप भूत बन गया है। पर उसे इन बातों की परवाह नहीं है।

रामलाल गरीब है। उस पर पाँच सौ रुपया कर्ज है। इसोलिए लोगों पर उसके इस आदर्श कार्य का कोई प्रभाव

नहीं पड़ा क्योंकि उनके कथनानुसार उसने यह खर्च से बचने के लिए किया है।

इस घटना के बाद गाँव में तीन-चार बूढ़ों की मृत्यु हुई। उनकी तेरहवीं पर बड़े ठाट-वाट में भोजों का आयोजन किया गया। चौधरी दुलीचन्द को तो इस कार्य के लिए एक आना प्रति सूपया व्याज के हिसाब से एक हजार सूपया कर्ज लेना पड़ा।

* * *

नम्बरदार का देहान्त हुए ६ दिन हो गए हैं। गाँव के बड़े-बूढ़े अभी से उसके पुत्र के पास आने लगे हैं। 'तेरहवी' के इनजाम के लिए अपनी मुफ्त सेवाएँ पेश करते हैं। परम्परालालसिंह (नम्बरदार का पुत्र) जो नौजवान कमेटी का अध्यक्ष है, उनकी बात मानने को नैयार नहीं है। इस बारे में अपनी माता भी उसका झगड़ा हो गया है। लोग-वाग आपस में कहते हैं—‘इस छोकरे ने तो नम्बरदार के खानदान की इजजत को मिट्टी में मिला दिया। जब इसके दादा की मृत्यु हुई, तब नम्बरदार ने दग-दस कोम तक के गाँवों में दो दिन तक चूल्हा नहीं जलने दिया था। वेचारे नम्बरदार के सब धर्मकर्म धूल में मिल गए। अब उसकी मुक्ति होनी कठिन है। वह भी हरिग्राम की तरह भूत बन कर लोगों को परेशान करता फिरेगा। हरिग्राम के लड़के के पास तो पैसा भी नहीं था, पर यहाँ पैसे की क्या कमी है। आस-पास के गाँवों तक में इस बात की चर्चा है कि कि वह इन्होंने भोजों को कर मरा है कि यह (लाल सिंह) जीवन भर बैठा-बैठा खाए तो भी खत्म नहीं हो।’

लालसिंह कहता है—यह सब किल खर्चीं हैं। इस पैसे को यदि यों न खर्च कर राष्ट्र-निर्माण के कार्य में खर्च किया जाए तो मृतक की आत्मा को अवश्य शान्ति मिलेगी।

पर क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे जिन्होंने ऐसी प्रथाओं का श्रीगणेश किया था? मगर आज कल के नौजवान बड़े-बूढ़ों की कब सुनते हैं। और यह लालसिंह तो नौजवान

कमेटी का अध्यक्ष बना हुआ है। हे भगवान! अब कैसे-कैसे 'आदर्शवादी तथा प्रगतिशील' पैदा होने लगे हैं।

लालसिंह के पास पैसे की कमी नहीं है। गाँव के बड़त से व्यक्तियों ने उससे रुपए उधार ले रखे हैं। इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह रामलाल की तरह लालसिंह के सामाजिक बहिष्कार की बात भी कहें।

* * *

कुछ दिनों के बाद गाँव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सूबेदार फतेहसिंह का देहान्त हो गया। गाँववाले, जिनको नम्बरदार की मृत्यु पर कुछ भी खाने को नहीं मिला था, अब की बार पेट भर कर लड्डू पूड़ी खाने की आशा पर अपने-अपने दाँत पैने करने लगे थे। सूबेदार का लड़का पद्मसिंह प्रगतिशील विचारों का समर्थक नहीं था, पर उसमें आगे बढ़ कर कायं करने का साहस नहीं था। तेरहवी की प्रथा को वह भी हानिकारक समझता था। रामलाल तथा लालसिंह ने उसका मार्ग साक कर दिया था। उसने अपने मन में विचार किया—‘नम्बरदार की हम में ज्यादा इजजत थी। जब उस जैसे धनी मानी आदमी की ही तेरहवी नहीं हुई और लोग कुछ दिन शोर मचा कर चुप हो गए, तो किर मैं ही क्यों किनूल खर्च करूँ।’

गाँववालों की अभिलाषा पूर्ण न हो सकी। मान-मर्यादा एवं धर्म-कर्म की थोथो दोवारे दो-तीन धक्कों से ही ढह गई।

इस घटना के बाद भी गाँव के कई बड़े परलोक मिथारे मगर उनके वारिसों ने उनकी आत्माओं की शान्ति तथा भूख की तृप्ति के लिए भोजों का आयोजन नहीं किया। वे कहते हैं—जब नम्बरदार तथा सूबेदार जैसे धनी-मानी और प्रतिष्ठित लोगों के मरने पर उनके पीछे कुछ भी खर्च नहीं किया गया तब हम गरीबों की क्या ओकात है कि कुछ खर्च करें। गरीब रामलाल का तो कोई हवाला तक नहीं देता। धीरे-धीरे लोग इस कुप्रथा की हानियों से परिचित हो गए। अब उस गाँव में तो करीब-करीब इस प्रथा का अन्त ही हो गया है और न ही किसी मृत व्यक्ति के भत बनने की चर्चा सुनने में आती है।

परोपकारी जीवन

मध्य प्रदेश के दुर्ग ज़िले में पाटन सामुदायिक विकास खण्ड है जहाँ कि सुन्दरसिंह नामक एक सिनेमा आपरेटर काम करते हैं।

सन् १९५५ में पाटन निवासियों ने बाजार के बीच तथा विकास कार्यालय के सामने कुछ दूरी पर एक साव-जनिक कुआँ बनाया जिसको गहराई लगभग ६० फुट है।

२२ जुलाई, १९५६ को शाम छःबजे की बात है। सेवक नामक एक नौ वर्ष का बालक कुएँ की फिरनी के साथ खेल रहा था। हाथ छूट जाने के कारण वह उस में गिर गया। उस समय कुएँ में कम से कम ५० फुट गहरा पानी भरा हुआ था।

बालक को कुएँ में गिरते देख श्री सुन्दरसिंह आपरेटर जो उस समय कार्यालय में काम कर रहे थे तुरन्त दौड़ कर गए और कपड़े तथा जूते पहने ही अपनी जान को बाज़ों लगा कर बालक के प्राण बचाने के लिए कुएँ में कूद पड़े। बालक डूबने ही वाला था कि उन्होंने उसे पानी के ऊपर उठा लिया। इतने में कई ग्रामीण भाई दौड़ पड़े और कहीं से एक सोढ़ो लाकर कुएँ में लटका दो जिसके सहारे श्री सुन्दरसिंह उस बालक को बेहोशी की हालत में लेकर बाहर निकले।

बालक के शरीर में काफ़ी पानी भर चुका था। यदि थोड़ी भी देर और होती तो उसके प्राण न बचते। बालक को लिटा कर मुँह से उसके पेट का पानी निकाला गया। कुछ देर बाद बालक होश में आ गया और फिर खेलने लगा।

लोगों ने श्री सुन्दरसिंह की भरि-भूरि प्रशंसा की और कहा—“तुम धन्य हो तुम्हारा जीवन एक शुद्ध, निस्स्वार्थी और परोपकारी जीवन है।”

विकास कार्य में सुन्दरसिंह सरीखे नवयुवकों की ही आवश्यकता है।

भगवान प्रसाद मिश्र,
खण्ड विकास अधिकारी,
पो० पाटन,
ज़िला दुर्ग (म० प्र०)

उत्तर प्रदेश में जन बल का उपयोग

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश के नवनिर्माण और उसकी आर्थिक परिस्थितियों का सन्तुलन ठीक करने के लिए धन बल के अभाव में जन बल का उपयोग करना ही अधिक समोचोन और श्रेयस्कर समझा गया। लोगों में यह भावना भरो गई कि ‘ईश्वर उन्हों को सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं।’ स्वावलम्बन का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र, आगे बढ़ सकता है। भारत जैसे विश्वाल देश में अपार जन बल है और इसके बूते पर जो कुछ भी किया जा सके, वह थोड़ा ही है। आवश्यकता इस बात को है कि लोग इसका महत्व समझें और स्वेच्छा से अपने हाथों में ऐसे कार्य लें जिनके द्वारा समाज का समुचित लाभ हो। इस प्रकार की भावनाओं के जगाने से देश में पर्याप्त गतिशीलता आई और परिणामस्वरूप सामाजिक हित के लिए बड़े इलाध्य एवं स्तुत्य कार्यों का श्रीगणेश हुआ और वे सफलता-पूर्वक सम्पन्न भी हुए। इस प्रकार समय को यह पुकार साकार हुई और लोग इस परोक्षा में खरे उतरे। इस जनबल के आनंदोलन को साधारण भाषा में ‘श्रमदान’ कहा जाता है।

इस बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रारम्भ में श्रमदान द्वारा नवनिर्माण में विश्वास इन्हें गिने कितिपय व्यक्तियों को ही था और अधिकांश लोगों को इसकी सफलता में बड़ा ही सन्देह था। यह जन बल आनंदोलन ‘श्रमदान’ प्रारम्भ में सरकार द्वारा संचालित न होकर गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाया गया जिसमें गाँव पंचायतों एवं सभाओं ने विशेष भाग लिया। इसकी भी खिल्ली उड़ाई गई, क्योंकि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विदेशियों के शासन के जादू ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के विगत वर्षों का इतिहास ही अकर्मण्यता, शैयित्य, उदासीनता, आत्म विस्मृति तथा एक घोर निष्क्रियता एवं निश्चेष्टता से ओतप्रोत कर दिया था। कलुषित जीवन पुनः सुधर सकता है, मृत अवयवों में नव जीवन का संचार किया जा सकता है और राष्ट्र को नूतन आशाओं और विश्वास से अनुप्राणित किया जा सकता, इसमें लोगों

का विश्वास नहीं था। किन्तु श्रमदान के डैम अभूतपूर्व प्रदर्शन ने उनकी आंखें खोल दीं।

यह जनता का उद्यम था और इसे उसी के तत्वावधान में रहना चाहिए था। किन्तु इस ओर सावधान रहना भी इसलिए आवश्यक था कि कहीं प्रयत्न बेकार न हो और संगठन अथवा अवसर की कमी के कारण लोगों को हताश न होना पड़े। अतएव आदेश न देकर सहायता देनेवाले उत्साही अधिकारियों को जनता के पथ-प्रदर्शन आदि के लिए भेजा गया। उन्होंने इस दिशा में पर्याप्त जागरूकता और आत्मविश्वास में कार्य किया।

यों नो जनता में जोश, उमंग और उत्साह आदि का आवेग परिष्ठितियों के कारण उत्पन्न हो जाता है पर उसमें आशा का संचार करना बड़ा कठिन है। इस प्रयोग ने मिछ कर दिया कि किस प्रकार जनता के समक्ष निर्दिच्चत और रचनात्मक आदर्श रख कर उसकी कल्पना को सजीव और उत्तेजित किया जा सकता है। राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न इस प्रकार के श्रमदान की महत्वा राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए किसी भी माहसिक कार्य में कम नहीं है। इसके द्वारा मदियों से सुन्त जनता जाग उठी है। इसका प्रदर्शन अवसरानुकूल सफल सिद्ध हो चुका है। विदेशी नता के विषये एवं घातक प्रभाव से मरणामन जनता के लिए यह संजीवनी हमें प्राण प्रण में सुरक्षित रखनी होमी क्योंकि यह राष्ट्र को उन्नति के लिए राम वाण ओषधि है।

यहाँ श्रमदान सम्बन्धी प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना उपयोगी प्रतीत होता है। कार्यों के चुनाव में स्थानीय उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा गया है। अतएव उनमें मुख्यतः मड़कों, तालाबों, बाँधों, कुओं, गूलों, नालियों, पुलियों, खाद के गड्ढों, पंचायतघरों तथा गांधी चबूतरों आदि के निर्माण को ही प्राथमिकता दी गई। इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता की इच्छा और उसका निर्णय ही प्रधान था। परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मौस्त्य में लोगों ने श्रमदान कार्य किया। प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्ताओं, गाँव सभाओं तथा उनके मंत्रियों, निरीक्षकों, छात्रों, शिक्षकों तथा मावंजनिक कार्यकर्ताओं ने आन्दोलन की सफलता के लिए पर्याप्त परिश्रम किया और प्रगति के मार्ग का पथ-प्रदर्शन किया। यह ठीक है कि सच्चे अर्थों में इसका श्रेय उन अज्ञात कार्यकर्ताओं को है जिन्होंने राष्ट्र के इस पावन अनुष्ठान में अपनी सामर्थ्य से भी अधिक कार्य किया, जिन्हें न तो कोई जानेगा और न जिनकी स्तुति के गीत ही गए जाएँगे।

यदि निष्पक्ष भाव तथा सच्ची दृष्टि से देखा जाए तो इस जनबल द्वारा जो कुछ कार्य हुआ वह अतुलनीय है। यह अपने ढग का प्रथम किन्तु सफल प्रयोग है, और इसीलिए 'गणतन्त्र सप्ताह' श्रमदान सप्ताह के नाम से विख्यात हो उठा। इस अनूठे दृष्टिकोण, अनृथी पद्धति और जनता के अनूठे योगदान ने उत्तर प्रदेश में वह अनूठा उदाहरण रखा है जो सदैव अनूठा कहा जाएगा, इसमें रचना भी सन्देह नहीं हो सकता। जनबल द्वारा श्रमदान कार्यों का नियोजन यद्यपि नियोजन विभाग के केन्द्रीय कार्यालय में हुआ पर उनका विस्तार सहित निरूपण जिला नियोजन समितियों द्वारा उनके गाँव में, गाँव सभाओं द्वारा ही हुआ।

चूंकि श्रमदान कार्यों के परिणाम ज्ञात हो गए हैं, अतएव जनता के साहस और विश्वास में आशानीत वृद्धि होना स्वाभाविक ही है। आवश्यकता इस बात की है कि उसके इस साहस और विश्वास की रक्षा की जाए तभी तो वह न केवल गणतन्त्र सप्ताह में प्रारम्भ किए गए कार्यों को पूर्ण करने का ही प्रयत्न करेगी, अपिनु नए कार्यों का श्रोगणेय भी करेगी। इस प्रकार हम सर्व अपने राज्य को ही नहीं बल्कि मार्ग देश को नव निर्माण की उस स्फरणेरेखा का दर्शन करा सकेंगे जो त्वरित गति के साथ बहुत ही कम में हो रहा है। हमारे राज्य का यह प्रयोग, हमारे जनबल का उपयोग, अथवा 'श्रमदान कार्य' हमारे राष्ट्र के लिए युभ लक्षण की ओपणा करना है। रचनात्मक कार्यों की प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा यह आदर्श सर्वथा अनुकरणीय है।

श्रमदान द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर अग्रसर होने तथा भविष्य में इस प्रकार 'जनबल' का उपयोग करने की सार्व योजनाएँ बनाने में जनता का महत्वोंग परमावश्यक है। यहाँ नहीं योजना निर्माण के समय कार्य के व्यवस्थित सञ्चालन के लिए नागरिकों, स्त्रियों और बच्चों की टोलियों के संगठन बनाने भी परमावश्यक होंगे। साथ ही इस दिशा में सावधानी में विचार भी करना होगा कि प्रत्येक वर्ग अपनी शक्ति भर अधिक में अधिक कार्य कर सके।

श्रमदान का प्रथम प्रयोग दिसम्बर १९५२ में प्रान्तीय रक्षक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इन्होंने जन शक्ति संचालन योजना चला कर यह पता लगाया कि निर्माण में श्रमदान के प्रति लोगों की रुचि कैसी है? परिणामस्वरूप प्रयोग सफल और उत्साहजनक होने के कारण उसे बड़े पैमाने पर चलाने का विचार हुआ। तब

से श्रमदान का आन्दोलन बराबर जारी रहा और अब यह राज्य के कार्यकलाप का एक अभिन्न अंग बन गया है। मुख्य मंत्री के शब्दों में इस अभियान ने सर्वसाधारण में राष्ट्रनिर्माण के लिए कार्य करने की प्रेरणा और उमंग उत्पन्न की है जो लम्बे दास्तव काल के अभिशापों को दूर करने में प्रयत्नशील किसी भी नव स्वतन्त्र देश के लिए आवश्यक है।

श्रमदान सप्ताह अब प्रति वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। गत वर्ष तक श्रमदान का कार्य गणतन्त्र सप्ताह में ही हाथ में लिया जाता था, पर इस वर्ष राज्य भर में १८ जनवरी सन १९५६ से अथवा स्थानोय सुविधानुसार कुछ दिनों पूर्व से ही एक सप्ताह के लिए यह आन्दोलन प्रारम्भ किया गया ताकि प्रान्त को सारी जनता २६ जनवरी के राष्ट्रीय पुण्य दिवस में भाग ले सके।

'श्रमदान' अथवा 'जनबल' द्वारा अपने राज्य में कितना महान कार्य हुआ है और राज्य का कितना रूपया वचाया गया है यह उन आँकड़ों द्वारा जाना जा सकता है जो इस प्रकार हैं। ये आँकड़े प्रथम पंचवर्षीय योजना के हैं—

- | | |
|--------------------|----------------------|
| १—सड़कें बनीं | ३२,२५२ मील |
| २—सड़कों की मरम्मत | ४७,०७२ मील ५ फर्लिंग |

३—मिट्टी के कार्य का मूल्य	६,६८,३१,२८३ रुपए
४—पुलियाँ बनीं	१,८७७
५—पुलियों की मरम्मत की गई	१७६
६—पुल बने	१५४
७—पुलों की मरम्मत की गई	२२
८—गूलें बनाई गईं	५८७ मील ५ फर्लिंग
९—गूलों की मरम्मत की गई	१२,५६६ मील ५ फर्लिंग
१०—बन्धी बनीं व मरम्मत की गई	४,२१७
११—नालियाँ बनीं	५२० मील
१२—नालियों की मरम्मत की गई	३९५ मील १ फर्लिंग
१३—तालाब खुदे	१,२२३
१४—तालाब की सफाई हुई तथा गहरे किए गए	१८,३८४
१५—नहरें बनीं	३४४ मील २ फर्लिंग
१६—नहरों की मरम्मत की गई	६०७ मील ४ फर्लिंग
१७—गान्धी चबूतरे बने	४,१५७
१८—गान्धी चबूतरों की मरम्मत की गई	२६५
१९—पंचायत घर बने	१,०५६
२०—पंचायत घरों की मरम्मत की गई	४०१
२१—कुएं बने	१,९६४
२२—कुओं की मरम्मत की गई	४,६०६



ग्राम-सुधार की दिशाएँ—[पृष्ठ २४ का शेषांश]

इलाके में और ज्यादा काम करके पैदावार को नहीं बढ़ाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल हो गया है। जहाँ तक संगठन सम्बन्धी कोशिशों का सम्बन्ध है, हमें ऐसा इंतजाम कर देना चाहिए कि सारे गाँव को अच्छे बोज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलते रहें और अच्छो खाद, जो कि गाँव में ही इकट्ठी को जा सकती है, इकट्ठो को जाए और उन लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाए जो सारे गाँव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आपको गाँव में ऐसे नेता भी बनाने होंगे जो ग्रामसुधार के काम में गाँववालों को सहायता देते रहें और गाँववालों तथा विस्तार कार्यकर्ता को जोड़नेवाली कड़ी बन जाएं। गाँव में वहीं के नेता तैयार करने का यह काम

बड़ा महत्वपूर्ण है। कई गाँवों में पंचायतें पाई जाती हैं। इस प्रकार की संस्थाएँ तो ज़रूर हैं लेकिन उनके इर्द-गिर्द उनका संचालन करने वाले नेताओं की ज़रूरत भी है।

इसके अलावा आपको गाँव में कई तरह की ज़रूरतें पूरो करने वाली ऐसी सहकारी समिति बनानी होगी जिसमें करीब-करीब हरेक परिवार के प्रतिनिधि हों। यह न सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि गाँव वालों को अच्छे बीजों, अच्छो खाद, उर्वरकों आदि के लिए पैसों की ज़रूरत है, बल्कि इस लिए भी कि इससे गाँववालों को यह अनुभव होगा कि अपनी मदद आप करना और अपने ऊपर निर्भर रहना सब तरह के सुधारों की जड़ है।



प्रगति के पथ पर

उपज बढ़ाने के लिए छः आवश्यक वार्ते

“भारत में पैदावार बढ़ाने के लिए छः वार्ते जरूरी हैं: (क) भारतीय किसान अधिक मेहनत करें और हमारी विस्तार सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाए। (ख) खाद और उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाए तथा फसल को तुकमान पहुँचानेवाले कोड़ों, चूहों, पश्चिमों, बन्दरों, आवारा पशुओं आदि का नाश किया जाए। (ग) जैसा चौन और जापान में किया गया है, भारतीय किसान को फसल के न्यूनतम मूल्य को गारंटी दी जाए। (घ) खेतों में ज्यादा पूँजी लगाई जाए और किसानों को सुनभ वर्षों पर क्रृषि दिए जाएं। (ङ.) खेतों के और अधिक स्कूल तथा कालेज खोले जाएं। (च) देश भर में कृषि क्रृषि मिनियों और विक्री संस्थाओं का जाल बिछा दिया जाए।” ये शब्द भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि उपमंत्री श्री कृष्णपा ने अपनी चौन-जापान यात्रा में लौट आने के बाद एक वक्तव्य में कहे। संक्षेप में श्री कृष्णपा का वक्तव्य इस प्रकार है—

“मैं तोन सप्ताह चौन में और एक सप्ताह जापान में रह कर लौटा हूँ। दोनों देशों में मैंने वहाँ की कृषि प्रणाली और मछली-पालन उद्योग का अध्ययन किया। चौन के किसानों ने पैदावार बढ़ाने के जो उपाय इन वर्षों में अपनाए हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि सारा राष्ट्र उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर उठाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहा है। उन्होंने फसल के सब शत्रुओं, जैसे बन्दर, चूहे, आवारा पशु और चिड़ियों आदि का समूल नाश कर दिया है। यही पशु-पश्चो हमारे देश में फसल का काफी बड़ा हिस्सा छट कर जाते हैं। चौन के किसानों ने खाद का उपयोग करके अपनी पैदावार तो बढ़ाई हो है, लेकिन वे गांवों को भी साफ़-सुथरा रखते हैं। इसलिए वहाँ बीमारियाँ भी कम हो गई हैं। चौन ने अपने यहाँ भारी संख्या में सहकारी फार्म बनाए हैं। इनमें से अधिकांश को बने हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है। इसलिए इन्होंने जल्दी यह बताना सम्भव नहीं कि उनसे पैदावार कितनी बढ़ेगी। हमारे यहाँ भी भूमि-हीन किसानों को समस्या हल करने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में कम से कम दो महकारी फार्म होने चाहिए।

“चौन और भारत जैसे देशों की जनता के लिए मछली एक महत्वपूर्ण आहार है। समुद्र में से हम बहुत ज्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हैं। इस बारे में हम जापान से बहुत कुछ सोख सकते हैं। एशिया के किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा जापान में प्रति एकड़ अधिक उपज होती है और प्रति एकड़ पानी में अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में नदियों और समुद्र से हम प्रतिवर्ष केवल दस लाख टन मछलियाँ पकड़ते हैं जब कि जापान में प्रति वर्ष ५० लाख टन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अपना खर्च निकाल कर, जापान प्रति वर्ष ४० करोड़ रुपए से अधिक की मछलियों का निर्यात करता है।

“जो जापानी विशेषज्ञ भारत को यात्रा कर चुके हैं, उनको राय है कि भारत में मछली पकड़ने की सुविधाएँ जापान से भी अधिक हैं। १९२० तक वहाँ भी मछली पकड़ने के पुराने साधनों का ही उपयोग किया जाता था। पर इन थोड़े से वर्षों में ही जापान विश्व के मछली पकड़नेवाले देशों में सबसे आगे हो गया है। प्रति एकड़ अधिक उपज और मछली

पकड़ने के बारे में हमें जापान और चीन, दोनों से बहुत कुछ सीखना है। जापान में प्रति व्यक्ति के पीछे केवल डाई-एफ़ भूमि उपलब्ध है। जापानी किसानों ने उसी पर उपज बढ़ा कर दिखा दिया है कि छोटे-छोटे खेत होने के कारण उपज कम नहीं होती। यदि हम प्रजातांत्रिक डंग से कृषि और मछवाल-पालन उत्प्रयोग में प्रगति करना चाहते हैं, तो मेरी राय में हम सबसे अधिक सीख जापान से ही ले सकते हैं।”

अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम

१८ ५०-५१ से १६५५-५६ तक ‘अधिक अन्न उपजाओ’ आन्दोलन पर कुल १ अरब १२ करोड़ ६३ लाख रुपए खर्च किए गए और इनसे कुल ५२ लाख २८ हजार रुपए का अतिरिक्त स्थानीय पैदा हुआ। भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ३ मित्तम्बर तक अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को २३ करोड़ ६४ लाख ८६ हजार रुपया स्वेच्छाकार किया है—२२ करोड़ १० लाख १६ हजार रुपया क्रूण और १ करोड़ ५४ लाख ६७ हजार रुपए अनुदान के रूप में। उक्त राशि में से अब तक ३ करोड़ ७८ लाख ७२ हजार रुपया बाँटा जा चुका है। क्रूण की कुल राशि में से आंध्र को ५ करोड़ २६ लाख ८७ हजार रुपए, मद्रास को ३ करोड़ ६३ लाख ७२ हजार रुपए, उत्तर प्रदेश को २ करोड़ ६१ लाख ३३ हजार रुपए, हैदराबाद को २ करोड़ ४७ लाख ८५ हजार रुपए और मध्य प्रदेश को २ करोड़ १ लाख २३ हजार रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा असम, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत, मैसूर, पेस्ट्री, राजस्थान, सोराष्ट्र, तिरुवाङ्कुर-कोचीन, जम्म तथा कश्मीर, अजमेर, भोपाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा विध्य प्रदेश को ६ करोड़ १४ लाख १६ हजार रुपया दिया गया।

इपो तरह अनुदान की कुल राशि में से बिहार को २८ लाख ८७ हजार रुपया, मध्य भारत को २६ लाख ८ हजार रुपया, उत्तर प्रदेश को २२ लाख ६५ हजार रुपया और सौराष्ट्र को १० लाख ३६ हजार रुपया मिला है। इनके अलावा आंध्र, असम, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मैसूर, पेस्ट्री, राजस्थान, तिरुवाङ्कुर-कोचीन, जम्म तथा कश्मीर, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, विध्य प्रदेश तथा मणिपुर को ६६ लाख ६८ हजार रुपया दिया गया। कुनौं का अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम अभी विचाराधीन है।

कृषि में अगु-शक्ति का उपयोग

कृषि गवेषणा में अगु-शक्ति का प्रयोग मुख्यतः इस समय नई दिल्ली के भारतीय कृषि गवेषणा संस्थान में, एक साल से कुछ अधिक समय से हो रहा है। संस्थान में पूर्णतः सजित एक रेडियो ट्रैनर प्रयोगशाला स्थापित की गई है और अन्नी खेड़ी-बाड़ी के उपयोग के कई प्रकार के उर्वरकों के बारे में अनुसंधान हो रहा है। इन अनुसंधान के बहुत से उपयोगों परिणाम निकले हैं। हमारे देश को ५०-६० प्रति शत जनीन में फास्फोरस की कमी है और फास्फोरस युक्त रासायनिक खाद डालने से जनीन की उर्वरकता बढ़ सकती है। यह भी पता लगा है कि २ से २० प्रति शत फास्फोट्युक्त खाद से भी गहूँ और धान की फसल को काफी लाभ होता है। जनीन में फास्फोरस की कितनी मात्रा है इसका पता लगाने को एक विधि निकाली गई है। ससे यह लाभ होगा कि किसानों को यह बताया जा सकता है कि जनीन में फास्फोट्युक्त कितना खाद डालने से लाभ होगा।

गाँवों में बिजली

गाँवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिल्ली, भोपाल, कच्छ, मणिपुर, विध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तिरुवाङ्कुर-कोचीन राज्यों के अतिरिक्त अन्य सब राज्यों से अवश्यक जानकारों मिल गई है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों की बिजली योजनाओं के लिए अस्थायी रूप से धन की व्यवस्था की है। इसमें गाँवों में बिजली लगाने के लिए भी धन दिया गया है। आयोग ने आंध्र और हैदराबाद राज्यों में दूसरी योजना में गाँवों में बिजली लगाने के लिए क्रपशः ५,४६,२७,००० रुपए और १,४२,५०,००० रुपए की व्यवस्था की है। आंध्र और हैदराबाद सरकारों ने जो विकास कार्यक्रम भेजे हैं, उनसे पता चलता है कि १९५६-५७ में गाँवों में बिजली लगाने के काम पर आंध्र सरकार का १५ लाख रुपए और हैदराबाद सरकार का ४२,६१,००० रुपए खर्च करने का विचार है।

भूमिहीन खेतिहर मज़दूर

केन्द्रीय स्वायत्र एवं कृषि मंत्रालय ने, मई १९५५ में, राज्य सरकारों को भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को बसाने की उचित योजनाएँ चलाने के लिए कहा था। इन योजनाओं के लिए केन्द्र विनीय महायना देने को तैयार है। भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को बसाने के लिए, १८ राज्यों की सरकारों ने योजनाएँ बनाई हैं। इनसी योजना में इस काम के लिए ५ करोड़ ५४ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से राज्य सरकारों ने ५ करोड़ ५ लाख की ओर केन्द्रीय सरकार ने ४६ लाख रुपए की व्यवस्था की है।

जमीन के कटाव की रोकथाम

बड़े बाँधों में मिट्टी न जमने पाए, इनके लिए भारत सरकार जमीन का कटाव रोकने की एक बड़ी योजना युद्ध करने का विचार कर रही है। यह योजना अभी नैशर नहीं हुई है। योजना नमी बन मकेगी, जब उन अंत्रों का, जिसमें बाँधों में पानी आता है, विस्तृत सर्वेक्षण हो जाए। ऐसा सर्वेक्षण युद्ध करने के मुख्याव पर विचार हो रहा है। इस कार्य के लिए कोई विदेशी विदेशी नहीं रखा जाएगा। मन् १९५६-५७ में प्रस्तावित सर्वेक्षण पर १५ लाख २० हजार रुपया खर्च होगा।

बाढ़ के बाद भूमि कटाव



ग्रामसेवक

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'ग्रामसेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थी निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार को विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

(वार्षिक मूल्य १) : एक प्रति =)

बाल भारती

नन्हे सुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

(वार्षिक मूल्य ४) : एक प्रति =)

कुस्तोत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं। वार्षिक मूल्य २॥) : एक प्रति ।)

प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। सुन्दर गेट-अप की इस सचित्र पत्रिका का मूल्य ८ आना है। वार्षिक मूल्य २)



आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं। वार्षिक मूल्य ६) : एक प्रति ॥)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटरियट, दिल्ली-८

उत्कृष्ट प्रकाशन

महात्मा गान्धी

महात्मा गान्धी की कहानी—चित्रों में

यह चित्रमय कहानी काल कम अनुसार है और महात्मा गान्धी के आलौकिक जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों में बँटी हुई है। यह आशा की जाती है कि इस समय तक उनके जीवन तथा कार्य-कलाप के सम्बन्ध में जो प्रचुर सामग्री एकत्र हुई है यह प्रकाशन उसका उपयुक्त चित्रमय पूरक प्रमाणित होगा।

सादा जिल्ड १०) रु०

सिल्क जिल्ड १५) रु०

स्वाधीनता और उसके बाद—

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

प्रधान मंत्री नेहरू के १९४६ से १९४८ तक विशेष अवसरों पर दिए गए ६० महत्वपूर्ण भाषण। स्वाधीनता, महात्मा गान्धी, साम्राज्यविकास, काश्मीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्र मण्डल, भारत और विश्व, आदि विषयों पर। सभी दृष्टियों से संग्रह-णीय और पठनीय प्रन्थ।

(रु० ५)

भारत दर्शन

(चित्रों में)

भारत की कहानी दिग्दर्शित करने वाले विविध चित्रों का अनमोल संग्रह है। देश के निवासी, पश्च, वनस्पति, प्राकृतिक रचना, आदि का विहंगावलोकन। भारतीय जीवन विचारधारा, परिस्थिति, प्राकृतिक दृश्य इत्यादि, विभिन्न पहलुओं का स्थलानुरूप समावेश।

(रु० ७।।)

भारतीय कला का सिंहावलोकन

मोहिन्जोदरो के समय से लेकर भारत के प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक कला के ३७ रंगीन और १०० एक रंगी चित्रों का संग्रह।

(रु० ६।।)

भारत की एकता का निर्माण

आगस्त १९४७ से दिसम्बर १९५० तक भारत के इतिहास के तेजस्वी काल में दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के २७ महत्वपूर्ण भाषण जो स्वतन्त्र भारत के निर्माण का यथार्थ प्रमाण हैं, कई दुर्लभ चित्रों सहित।

(रु० ५)



पब्लिकेशन्स डिवीजन,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८